(यथा 1 जुलाई, 2012 तक संशोधित)

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987

(1987 का 53)

(23 दिसंबर, 1987)

आवास वित्त संस्थाओं का स्थानीय और प्रादेशिक, दोनों, स्तरों परसंवर्धन करने और ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधान अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए एक बैंक को, जो राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से ज्ञात होगा, स्थापना करने के लिए और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिनन-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी उपबंध के किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''बोर्ड'' से धारा 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आवास बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है:

(ख) ''अध्यक्ष'' से धारा 6 के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है:

(ग) ''निदेशक'' से धारा 6 के अधीन नियुक्त निदेशक अभिप्रेत है:

(घ) ''आवास वित्त संस्था'' के अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था है, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो प्रधानतया आवास के लिए चाहे प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: वित्त उपलब्ध कराने का कारबार करती है या जिसका मुख्य [2]उद्देश्य ऐसा कारबार करना है;

---

[1] अधिनियम के सभी प्रावधान, केवल अध्याय V और उपधारा (3) के धारा 49 को छोड़कर 9 जुलाई, 1988 से लागू हैं, देखें-अधिसूचना संख्या एसओ 684 (ड.) दिनांकित 9 जुलाई, 1988 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3 (ii) और अध्याय V तथा उप धारा 49 1 जून, 1989 से लागू हुए, देखें अधिसूचना सं एसओ 394 (ड.) दिनांकित 1 जून,1989 भारत राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा-3

[2] इसके मूल उद्देश्य हेतु 2000 के अधिनियम सं 15,धारा 2 के द्वारा प्रतिस्थापित (12 जून,2000 से लागू)

(ड.) ''प्रबंध निदेशक'' से धारा 6 के अधीन नियुक्त प्रबंध निदेशक अभिप्रेत है:

(च) ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' से धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है:

(छ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है:

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(झ) ''रिजर्व बैंक'' से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है:

(ञ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित नहीं है, किंतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में हैं।

अध्याय 2

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना और उसकी पूंजी

3. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना और उसका निगमन- (1) ऐसी [1]तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बैंक की स्थापना की जाएगी जो राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से ज्ञात होगा।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम एक निगमित निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह लाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय मुम्बई या अन्य ऐसे स्थान पर होगा जो रिज़र्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, विनिदिष्ट करे।

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में किसी स्थान पर और रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से भारत के बाहर किसी स्थान पर कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।

4. पूंजी

[2]''4. (1) राष्ट्रीय आवास बैंक की प्राधिकृत और समादत्त पूंजी तीन अरब पचास करोड़ रूपए होगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाकर बीस अरब रूपए तक कर सकेगी।

---

[1] राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988 को स्थापित किया गया, देखें अधिसूचना सं एसओ 685 (ड.) दिनांकित 9 जुलाई, 1988, भारत का राजपत्, असाधारण, भाग-IIए धारा-3 (II)

[2] 2000 के अधिनियम सं. 15 (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा निम्नांकित हेतु प्रतिस्थापित-

4 राष्ट्रीय आवास बैंक की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी एक सौ करोड् रूपए होगी रिजर्व बैंक के द्वारा अभिदत्त होगी; यह भी कि भारत सरकार, रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से, अणिसूचना के द्वारा उक्त प्रदत्त पूंजी को पांच सौ करोड् तक बढ़ा सकती है और बढ़ाई गई पूंजी भी रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त होगी

(2) बोर्ड, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो समय-समय पर उसके द्वारा अवधारित की जाए, रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, लोक वित्तीय संस्थाओं, आवास वित्त संस्थाओं या ऐसी अन्य संस्थाओं को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, बढ़ी हुई प्राधिकृत पूंजी निर्गमित कर सकेगा:

परंतु पुरोधृत पूंजी में कोई भी बढ़ोतरी ऐसी रीति से नहीं की जाएगी जिससे रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय सरकार, पब्लिक सैक्टर बैंक, लोक वित्तीय संस्थाएं या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाएं, किसी समय कुल मिलाकर राष्ट्रीय आवास बैंक की पुरोधृत पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम धारित करें।''

अध्याय 3

राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रबंध

5. प्रबंध- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्याकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे सभी कार्य और बातें करेगा, जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा सकता है या जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक कर सकता है।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, लोकहित का सम्यक ध्यान रखते हुए कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों मे जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय-

(क) [1]यदि अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों पदों को धारण करता है, तो अध्यक्ष, या

(ख) यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हे, तो प्रबंध निदेशक,

को भी राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यकलाप और कारबार के साधारण अधीक्षण, निदेशक और प्रबंध की शक्तियां प्राप्त होंगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जा सकता है और जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक कर सकता है और वह लोकहित का सम्यक ध्यान रखते हुए कारबार के सिद्धांतों पर कार्य करेगा।

(4) प्रबंध निदेशक, अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निदेशों का अनुसरण करेगा जो अध्यक्ष उसे दे।

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, नीति के उन विषयों के बारे में, जिनमें लोकहित अंतर्ग्रस्त हो, ऐसे निदेशों का अनुसरण करेगा जो रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार या रिज़र्व बैंक उसे लिखित रूप में दे।

6. निदेशक बोर्ड- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा सकेगा;

---

[1] 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 3 (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा निम्नांकित हेतु प्रतिस्थापित-
''(क) अध्यक्ष (चेयरमैन), यदि इस कार्यालय को दोनों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यालय धारित करता है, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होता है-

(ख) [1]दो निदेशक, जो आवास, वास्तुकला, इंजीनियरी, समाजशास्त्र, वित्त, विधि, प्रबंध और निगमित योजना या किसी अन्य क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञ हों, जिनका विशेष ज्ञान राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए उपयोगी समझा जाता है;

(ग) [2]दो निदेशक, जिनके पास आवास के लिए निधियां उपलब्ध कराने में या आवास विकास में लगी हुई संस्थाओं के कार्यकरण का अनुभवन है।

(गक) दो निदेशक, जो रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अन्य संस्थाओं से भिन्न शेयरधारकों द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्वाचित किए जाएंगे;''

(घ) दो निदेशक, रिज़र्व बैंक के निदेशकों में से होंगे;

(ड.) तीन निदेशक, केन्द्रीय सरकार के पदाधारियों में से होंगे।

(च) दो निदेशक, राज्य सरकार के पदधारियों में से होंगे।

(2) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों[3] (धारा (गक) और (घ) में संदर्भित निदेशकों को छोडकर) को रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और धारा (घ) में संदर्भित निदेशकों को रिजर्व बैंक द्वारा नामांकित किया जाएगा।

7. **अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों की पदावधि, सेवा-शर्तें, आदि-** (1) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पांच वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि तक पद धारण करेंगे और ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे तथा सेवा के ऐसे निबंधन और शर्तों द्वारा शासित होंगे जो केनद्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक से परामर्श करके, विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार नियुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

परन्तु यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (गक) में[4] निर्दिष्ट निदेशक तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;[5]

परन्तु ऐसा कोई निदेशक अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(3) केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक से परामर्श करके, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य निदेशक को, उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय उसे, उसके प्रस्तावित हटाए जाने के विरूद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् हटा सकेगी।

---

[1] 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 5 (क) (I) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा तीन दशकों हेतु प्रतिस्थापित

[2] 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 5 (क) (II) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा तीन दशकों हेतु प्रतिस्थापित- ''(ज)'' तीन निदेशक'' वे व्यक्ति, जिन्हें आवास हेतु निधियां उपलब्ध कराने जैसे संस्थान का अनुभव हो या आवास विकास के संबंद्ध हो''

[3] ''खंड (घ) में संदर्भित निदेशकों के विलगन'' हेतु 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 5(ख) (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित

[4] खंड (ख) और (ग) ''हेतु 2000के अधिनियम सं. 15 धारा 6 (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित

[5] 2006 के अधिनियम सं. 45 (बैंकिंग कंपनियां (उपक्रम के अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम 2006), धारा 19 (26 सितंबर, 2006 से लागू) के द्वारा त्याज्य।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, रिज़र्व बैंक से परामर्श करके, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ता देकर उसकी पदावधि समाप्त करने का अधिकार होगा और यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक को भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ता देकर अपना पदत्याग करने का अधिकार होगा।

(5) निदेशकों को बोर्ड के या उसकी समितियों के अधिवेशनों में हाज़िर होने के लिए और राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य कार्य को करने के लिए ऐसी फीस और भत्ते दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं:

परन्तु ऐसी फीस, किसी ऐसे निदेशक को देय नहीं होगी, जो सरकार या रिज़र्व बैंक का पदधारी है।

8. निर्हताएं- कोई व्यक्ति बोर्ड का निदेशक नहीं होगा यदि वह-

(क) विकृतचित्त है या विकृतचित्त हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है; या

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है या ठहराया जा चुका है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) दिवालिया न्यायनिर्णीत है या किसी समय किया गया है या जिसने अपने ऋण का संदाय निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन कर लिया; या

(घ) किसी भी कारण से-

(i) सरकार, या

(ii) रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक, या

(iii) किसी लोक वित्तीय संस्था, या राज्य वित्तीय निगम,

या

(iv) सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम, की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है।

9. निदेशकों के पद में रिक्ति और उनके द्वारा पदत्याग- (1) यदि कोई निदेशक-

(क) धारा 8 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है, या

(ख) बोर्ड के उसके लगातार तीन या अधिक अधिवेशनों में उसकी इजाज़त के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा।

(2) कोई निदेशक उस प्राधिकारी को जिसने उसे नियुक्त या नाम निर्देशित किया था, लिखित सूचना देकर अपना पदत्याग कर सकेगा और ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर यदि उसका त्यागपत्र शीघ्र स्वीकार नहीं किया जाता है तो ऐसे प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र की प्राप्ति के तीन मास के अवसान पर, यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

10. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक के पद में आकस्मिक रिक्ति- यदि, अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक, अंग शैथिल्य के कारण या अन्यथा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर या अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में अनुपस्थित है, जिनसे उसकी नियुक्ति में रिक्ति अंतर्वलित नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

11. **बोर्ड के अधिवेशन-** (1) बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होंगे और वह अपने अधिवेशनों में कामकाज के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेंगे, जो विहित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारण से वह बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, प्रबंध निदेशक, या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, दोनों के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ होने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित कोई अन्य निदेशक और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में अधिवेशन में उपस्थित निदेशकों द्वारा अपनों में से निर्वाचित कोई निदेशक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उठने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

12. **कार्यपालिका समिति और अन्य समितियां-** (1) बोर्ड एक कार्यपालिका समिति का गठन कर सकेगा जिसमें उतने निदेशक होंगे जितने विहित किए जाएं।

(2) कार्यपालिका समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(3) बोर्ड या तो पूर्णतः निदेशकों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या भागतः निदेशकों से और भागतः अन्य व्यक्तियों से, जिन्हें वह ठीक समझे, मिलकर बनने वाली अन्य समितियां ऐसे प्रयोजनों के लिए, गठित कर सकेगा, जिनका यह विनिश्चय करे और इस प्रकार गठित कोई समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।

(4) इस धारा के अधीन गठित कार्यपालिका समिति या किन्हीं अन्य समितियों के अधिवेशन, ऐसे समय और स्थानों पर होंगे और वे अपने अधिवेशनों के संचालन में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेंगी जो विहित किए जाएं।

13. **बोर्ड के निदेशक या उसकी समिति के सदस्य का कुछ मामलों में अधिवेशनों में भाग न लेना-** बोर्ड का कोई निदेशक या किसी समिति का कोई सदस्य, जिसका बोर्ड या उसकी समिति के अधिवेशनों में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित है, सुसंगत परिस्थितियां उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसे अधिवेशन में अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और यह प्रकटीकरण, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा और वह निदेशक या सदस्य उस विषय के संबंध में बोर्ड या समिति के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में कोई भाग नहीं लेगा।

अध्याय 4

राष्ट्रीय आवास बैंक का कारबार

14. **राष्ट्रीय आवास बैंक का कारबार-** इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक, निम्नलिखित में से सभी या किसी प्रकार का कारबार कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) आवास वित्त संस्थानों का संवर्धन या स्थापन करना और उनकी सहायता करना या उनके संवर्धन, स्थापन और समर्थन में सहयोग देना;

[1]''(ख) आवास वित्त संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों या ऐसी किसी अन्य संस्था या संस्थाओं के वर्ग को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, आवास क्रियाकलापों के लिए उधार और अग्रिम देना या किसी भी प्रकार की किसी अन्य रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(खक) आवास या आवासीय नगरी और आवास-विकास अथवा गंदी बस्ती सफाई परियोजनाओं के लिए उधार और अग्रिम देना;''

(ग) प्रत्येक अन्य प्रकार के स्टाकों, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचरों और प्रतिभूतियों में, अभिदाय करना या उनका क्रय करना;

(घ) आवास वित्त संस्थानों की वित्तीय बाध्यताओं की गारंटी देना और आवास वित्त संसथाओं के प्रत्येक अन्य प्रकार के स्टाकों, शेयरों, बंधपत्रों, डिबेंचरों और प्रतिभूतियों की पुरोधृति की हामीदारी करना;

(ड.) विनिमय-पत्रों, वचन-पत्रों, बंधपत्रों, डिबेंचरों, हुंडियों, कूपनों और किसी भी नाम से कही जाने वाली अन्य लिखतों का आहरण, प्रतिहरण, मितिकाटे पर भुगतान या पुनः मितिकाटे पर भुगतान, क्रय या विक्रय करना और उनका कारबार करना;

[2]''(ड.क) अनुसूचित बैंकों या आवास वित्त संस्थाओं से संबंधित स्थावर संपत्ति के बंधक या उस पर प्रभार द्वारा प्रत्याभूत किन्हीं उधारों या अग्रिमों का क्रय, विक्रय या अन्यथा उनमें व्यवहार करना;

(ड.ख) एक या अधिक न्यासों का सृजन करना और उधारों और अग्रिमों को उनकी प्रतिभूतियों सहित या उनके बिना ऐसे न्यासों को प्रतिफल के बदले अंतरित करना;

(ड.घ) आवास वित्त क्रियाकलाप करने के लिए एक या अधिक पारस्परिक निधियों की स्थापना करना;

(ड.ड.) आवास बंधक बीमा का कार्य करना या उसमें भाग लेना;''

[3]''(च) इस अधिनियम के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए कंपनियों, बंधक बैंकों, समनुषंगियों, सोसायटियों, न्यासों या व्यक्तियों के ऐसे अन्य संगम, जिसे वह ठीक समझे, के संवर्धन, बनाने या संचालन करना या उनकी सहायता करना;''

(च) इस अधिनियम के अधीन अपने सभी कृत्य या उनमें से कोई कृत्य करने के लिए समनुषंगियों की स्थापना करना, संवर्धन करना और प्रबंध करना;

(छ) आश्रय, आवास और लोगों के निवास से संबंधित या उसके संबंध में सन्निर्माण तकनीकों और अन्य अध्ययनों पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करना;

(ज) आवास के लिए साधन जुटाने और उधार देने के प्रयोजन के लिए एक या अधिक स्कीमें बनाना;

[4](जज) (स्वैच्छिक निक्षेप(उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम 1991, के खंड 2 की धारा (क) में संदर्भित निक्षेप स्वीकार करने के उद्देश्य से एक योजना के गठन हेतु और ऐसी निक्षेपों की राशि के 40 प्रतिशत को उधार देने हेतु खंड 37 के तहत एक विशिष्ट निधि का निर्माण)

---

[1] 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 17 (I) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा निम्न हेतु प्रतिस्थापित
किसी भी वित्तीय संस्थान से आवास वित्त संस्थानों या अनुसूचित बैंकों से ऋण और अग्रिम को देना या आयात करना (या किसी भी प्रकार के प्राधिकरण द्वारा या केन्द्र राज्य या प्रादेशिक अधिनियम द्वारा स्थापित और झोपड पट्टी के समाशोधन में संलग्न हो)''

[2] 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 17 (II) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा शामिल किया गया

[3] निम्न हेतु 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा (III) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित-
इस अधिनियम के तहत सभी कार्यों या इसके क्रियाकलाप को आगे बढ़ाने हेतु सहायक कंपनी का गठन, प्रोत्साहन एवं प्रबंध करना-''

[4] 1991 के अधिनियम सं 47 धारा 5 (II) (2 सितंबर 1991 से लागू) के द्वारा शामिल किया गया

(झ) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक या अधिक स्कीमें तैयार करना, जिन्हें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत द्वारा सहायता दी जा सकेगी;

(ञ) आवास से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार और विचार-गोष्ठी आयोजित करना;

(ट) आवास वित्त संस्थाओं को सुव्यवस्थित आधारों पर उनकी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(ठ) आवास वित्त संस्थानों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना;

(ड) अपने समग्र कृत्यों के निर्वहन में भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करना;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक को सौंपे गए कर्तव्यों के अनुपालन में सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना;

(ण) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या रिज़र्व बैंक या रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(त) किसी अन्य प्रकार का कारबार करना जिसे केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर प्राधिकृतकरें;

(थ) साधारणतया, ऐसे सभी विषय और बातों के संबंध में कार्य करना जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आनुषंगिक या पारिणामिक हैं।

15. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उधार लिया जाना और निक्षेपों का प्रतिग्रहण- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए-

(क) केन्द्रीय सरकार की प्रतयाभूति के सहित या उससे रहित बंधपत्र और डिबेंचर, ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो विहित किए जाएं, पुरोधृत कर सकेगा और उनका विक्रय कर सकेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार से और उस सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो करार पाई जाएं, धन उधार[1] ले सकेगा;

(ग) ऐसी अवधि के अवसान[2] के पश्चात्, जो निक्षेप किए जाने की तारीख से बारह मास से कम की नहीं होगी, प्रतिसंदेय निक्षेप ऐसे निबंधनों पर, जो रिज़र्व बैंक द्वारा साधारणतया या विशिष्टतया, अनुमोदित किए जाएं, प्रतिगृहीत कर सकेगा;

[3]उपलब्ध कराता है कि इस धारा में कुछ भी सम्मिलित नहीं है धारा 144 के खंड (जज) के पालन में बैंक द्वारा कार्यान्वित योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाओं में लागू होगा

---

[1] केन्द्र सरकार हेतु 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 8 (क) (12 जून,2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित

[2] एक अवधि जोकि जमा करने की तिथि से बारह मीहनों से कम नहीं होगी'' हेतु 2000 के अधिनियम सं. 15, धारा 8 (क) (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित

[3] 1991 के अधिनियम सं 47, धारा5 (ख) (20 सितंबर, 1991 से लागू) द्वारा जोड़ा गया

(घ) रिज़र्व बैंक से-

(i) [1]ऐसे धन, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिनके अंतर्गत प्रतिभूति से संबंधित निबंधन भी हैं, और ऐसे प्रयोजन के लिए जो रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उधार ले सकेगा जो मांग किए जाने पर या इस प्रकार ऋण या उधार लेने की तारीख से अठारह मास से अनधिक की नियत अवधियों के अवसान पर प्रतिसंदेय होंगे;

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 46घ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से या उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए धन उधार ले सकेगा;

(ड.) दी गई सेवाओं के लिए ऐसा पारिश्रमिक, कमीशन, प्रतिबद्धता प्रभार, परामर्श प्रभार, सेवा प्रभार, स्वामित्व, प्रीमियम, अनुज्ञप्ति फीस और किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रतिफल, प्राप्त कर सकेगा।

(च) सरकार या किसी अन्य स्रोत से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत बंधपत्रों और डिबेंचरों के मूलधन के प्रतिसंदाय और ऐसी दर से, जो वह सरकार नियत करे, ब्याज के संदाय की बाबत प्रत्याभूति दे सकेगी।

16. विदेशी करेंसी में उधार- (1) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में या विदेशी मुद्रा से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक, इस अधिनियम के अधीन ऋण और उधार देने के प्रयोजन के लिए भारत या विदेश के किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऐसी रीतिसे और ऐसी शर्तों पर जो रिज़र्व बैंक के परामर्श से विहित की जाएं, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विदेशी करेंसी उधार ले सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, जहां आवश्यक हो, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उप-धारा (1) के अधीन लिए गए किसी उधार या उसके किसी भाग के मूलधन के प्रतिसंदाय और ब्याज और अन्य आनुषंगिक प्रभारों के संदाय की बाबत प्रत्याभूति दे सकेगी।

जब प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित संपत्ति का संचालन या उस पर प्रभार धारित करना हो तब उधार लेने वाले की सहायता।

[2]16क. (1) जहां कोई व्यक्ति या संस्था राष्ट्रीय आवास बैंक से अपनी या उस संस्था(की किसी स्थावर संपत्ति की प्रतिभूति पर जिसकी संपत्ति ऐसी सहायता के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्थापित की जाती है, कोई वित्तीय सहायता चाहता है, वहां, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या संस्था या ऐसा अन्य व्यक्ति इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप में लिखित घोषणा निष्पादित कर सकेगा जिसमें उसकी स्थावर संपत्ति की विशिष्टियों का कथन होगा जो, यथास्थिति, प्रतिभूति या संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऐसी सहायता के लिए प्रस्थापित की जाती है और उसमें यह सहमति होगी कि यदि सहायता अनुदत्त की जाती है तो उस सहायता से संबंधित शोध्य ऐसी स्थावर संपत्ति पर प्रभार होंगे और यदि ऐसी घोषणा की प्राप्ति पर राष्ट्रीय आवास बैंक पूर्वोक्त व्यक्ति या संस्था को कोई वित्तीय सहायता अनुदत्त करता है तो ऐसी सहायता से संबंधित शोध्य, इस प्रकार विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की बाबत कोई पूर्ववर्ती प्रभार या बंधक धारित करने वाले किसी अन्य लेनदार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा के उपबंधों के अनुसार पूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट संपत्ति पर प्रभार होंगे।

---

[1] निम्न हेतु 2000 के अधिनियम सं. 15 धारा 8 (ग) (12 जून 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित-
"(1) मां पर देय या मियादी अवधि की समाप्ति ऋण या अग्रिम देने से अठारह माह से अधिक नहीं हो, ऐसी शर्त एवं नियम में प्रतिभूति के संबंध में जोड़ने और उद्देश्य को रिजर्व बैंक के द्वारा विशिष्ट निर्देश से किया जा सकता है।"

[2] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 9 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(2) जहां किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में कोई और स्थावर संपत्ति प्रस्थापित की जाती है, वहां ऐसा व्यक्ति या संस्था नयी घोषणा निष्पादित कर सकेगा तो इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में वर्णित प्ररूप में होगी, जिस पर ऐसी सहायता से संबंधित शोध्य भी, इस धारा के उपबंधों के अनुसार, ऐसी नयी घोषणा में विनिर्दिष्ट संपत्ति पर प्रभार होंगे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन की गई घोषणा पूर्वोक्त व्यक्ति या संस्था द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के पूर्व अनुमोदन से, परिवर्तित या प्रतिसंहृत की जा सकेगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन की गई गई प्रत्येक घोषणा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबंधों के अधीन करार के रूप में रजिस्टर किए जाने योग्य दस्तावेज़ समझी जाएगी और ऐसी कोई घोषणा उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब कि वह रजिस्टर नहीं कर ली जाती।

16ख. (1) उधार लेने वाली संस्था द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या पुनः वितपोषित उधारों या अग्रिमों के प्रतिसंदाय या वसूली में प्राप्त कोई धनराशियां, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुदत्त सौकर्य सुविधा की सीमा तक और बकायों की सीमा तक राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से न्यास में उधार लेने वाली संस्था द्वारा प्राप्त की गई समझी जाएंगी और तदुनसार ऐसी संस्था द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक को संदत्त की जाएंगी। 1908 का 16

(2) जहां कोई सौकर्य राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किसी उधार लेने वाली संस्था को अनुदत्त किया गया है, वहां ऐसी उधार लेने वाली संस्था द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां या जो धारित की जा सकेंगी, किसी संव्यवहार मद्दे जिसकी बाबत ऐसा सौकर्य अनुदत्त किया गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से न्यास में ऐसी संस्था द्वारा धारित किया जाएगा।'' न्यास में धारित की जाने वाली रकम और प्रतिभूति।

17. अधिकार अंतरित करने की शक्ति- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए किसी ऋण का उधार या वसूल की जा सकने वाली किसी रकम के संबंध में उसके अधिकारों और हितों का (जिसके अंतर्गत उनसे आनुषंगिक कोई अन्य अधिकार भी हैं) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पूर्णतः या भागतः अंतरण किसी लिखत को निष्पादित या जारी करके या पृष्ठांकन द्वारा किसी लिखत का अंतरण करके या किसी अन्य रीति से, जिससे ऐसे ऋण या उधार से संबंधित अधिकार और हित विधिपूर्वक द्वारा किसी लिखत का अंतरण करके या किसी अन्य रीति से, जिससे ऐसे ऋण या उधार से संबंधित अधिकार और हित विधिपूर्वक अंतरित किए जा सकते हैं, किया जा सकेगा और ऐसे अंतरण के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक, अंतरिती की ओर से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 के अर्थ में न्यासी के रूप में कार्य कर सकेगा।

18. अधिकार अर्जित करने की शक्ति- राष्ट्रीय आवास बैंक को यह अधिकार होगा कि वह किसी आवास वित्त संस्था द्वारा दिए गए किसी ऋण या उधार या वसूली की जा सकने वाली किसी रकम के संबंध में ऐसी संस्था के अधिकारों और हितों की (जिनके अंतर्गत उनसे आनुषंगिक कोई अन्य अधिकार भी हैं), अंतरण या समनुदेशन द्वारा, पूर्णतः या भागतः अर्जन किसी[1] लिखत को निष्पादित या जारी करके या किसी लिखत को अंतरण करके या किसी अन्य रीति से कर ले जिससे ऐसे ऋण या उधार से संबंधित अधिकार और हित विधिपूर्वक अंतरित किए जा सकते हैं।

[1] ''आवास वित्त संस्थान'' के लिये अधिनियम सं. 15/2000, धारा 11 द्वारा प्रतिस्थापित (12 जून, 2000 से)

11. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अथात्:-

नई धारा 18क और धारा 18ख का अंत: स्थापन।

नई धारा 18क और धारा 18ख का अंत: स्थापना।

रजिस्ट्रीकरण से छूट।

"18क. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,- 1908 का 16

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त संस्थाओं और अनुसूचित बैंकों द्वारा अनुदत्त उधारों को प्रतिभूत करने के लिए वहां तक के सिवाए जहां तक वह रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा प्रदान किए गए अविभक्त हित के लिए उसके धारक को हकदार बनाती है और न कि किसी स्थावर संपत्ति में किसी अधिकार, हक या हित का सृजन, घोषणा, समनुदेशन, सीमित करने या उसे समाप्त करने के लिए, जारी की गई ऋण बाध्यताओं या फायदाप्रद हित के न्यास प्रमाणपत्र या अन्य लिखित के रूप में, चाहे उसका कोई भी नाम हो, कोई दस्तावेज़ जिसके द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक ने ऐसे उधारों और उनके लिए प्रतिभूतियों के संबंध में अधिकार और हित अर्जित कर लिया है; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी लिखतों के किसी अंतरण, के लिए कोई अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

शोध्यों की भू-राजस्वों के बकायों के रूप में वसूली

[1]18ख. जहां कोई रकम राष्ट्रीय आवास बैंक को किसी करार के अधीन, चाहे वह बैंक न्यासी के रूप में कार्य कर रहा हो या अन्यथा, आवास वित्त संस्था और अनुसूचित बैंकों के उधारों को प्रतिभूत करने की बाबत शोध्य है, वहां राष्ट्रीय आवास बैंक, वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार को उसे शोध्य रकम की वसूली के लिए आवेदन कर सकेगी और यदि राज्य सरकार को उसे शोध्य रकम की वसूली के लिए आवेदन कर सकेगी और यदि राज्य सरकार या ऐसे प्राधिकारी का, जिसे वह सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यह समाधान हो जाता है कि कोई रकम शोध्य है तो वह कलैक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और कलैक्टर उस रकम को उस रीति में वसूल करने के लिए कार्रवाई करेगा जिसमें भू-राजस्व के बकायों की वसूली की जाती है।"

19. **सौकर्य के लिए शर्तें अधिरोपित करने की शक्त-** किसी उधार[2] लेने वाली आवास वित्त संस्था के साथ इस अध्याय के अधीन कोई संव्यवहार करने में राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा, जो वह राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

20. **करार की गई अवधि से पूर्व प्रतिसंदाय की मांग करने की शक्ति-** किसी करार में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित सूचना द्वारा, किसी उधार लेने वाली आवास वित्त संस्था से, राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति उसके दायित्वों का पूर्णत: तुरंत उन्मोचन करने की अपेक्षा कर सकेगा यदि-

(क) बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि ऋण या उधार के लिए आवेदन में किसी तात्विक विशिष्टि की बाबत मिथ्या या भ्रामक जानकारी दी गई थी; या

(ख) उधार लेने वाली वित्त संस्था ने ऋण या उधार के विषय में राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ करार के किन्हीं निबंधनों का अनुपालन नहीं किया है; या

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 11 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] "आवास वित्त संस्थान" को अधिनियम सं. 15/2000, धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित (12 जून, 2000 से)

(ग) यह युक्तियुक्त आशंका है कि उधार लेने वाली आवास वित्त संस्था अपने ऋणों का संदेय करने में असमर्थ है या उसके बारे में समापन की कार्यवाहियां प्रारंभ की जा सकती हैं; या

(घ) किसी कारण से राष्ट्रीय आवास बैंक के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

21. **राष्ट्रीय आवास बैंक की अभिलेखों तक पहुंच होना-** (1) राष्ट्रीय आवास बैंक की ऐसी किसी आवास वित्त संस्था[1] के, जो राष्ट्रीय आवास बैंक से कोई प्रत्यय सुविधाएं लेने की ईप्सा करता है, ऐसे सभी अभिलेखों तक और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो ऐसी आवास वित्त संस्था से कोई प्रत्यय सुविधाएं लेने की ईप्सा करता है, ऐसे सभी अभिलेखों तक पहुंच होगी जिनका परिशीलन राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसी आवास वित्त संस्था को वित्तीय या अन्य सहायता का प्रबंध करने के संबंध में या उस आवास वित्त संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति को दिए गए किसी ऋण या उधार का पुनर्वित्त पोषण करने के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संस्था या व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी अभिलेख की प्रति उसे दे और, यथास्थिति, वह संस्था या व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

22. **ऋण या उधार की विधिमान्यता का प्रश्नगत न किया जाना-** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में दिए गए किसी ऋण या उधार की विधिमान्यता केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि ऐसी अन्य किसी विधि की या किसी संकल्प या उधार लेने वाली आवास वित्त संस्था के गठन को विनियमित करने वाली किसी लिखत की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

परंतु इस धारा की कोई बात किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी को तब उधार या अग्रिम अभिप्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जब ऐसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी के गठन से संबंधित लिखत ऐसी कंपनी या सहाकारी सोसाइटी को ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं बनाती है।

23. **राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपने स्वयं के बंधपत्रों या डिबेंचरों के प्रति ऋण या उधार न दिया जाना-** राष्ट्रीय आवास बैंक अपने स्वयं के बंधपत्रों या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या उधार नहीं देगा।

24. **निरीक्षण करने की शक्ति-** (1) राष्ट्रीय आवास बैंक, ऐसी आवास वित्त संस्था का, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक ने कोई ऋण या उधार दिया है या कोई अन्य वित्तीय सहायता दी है, तथा उसकी बहियों और लेखाओं का, निरीक्षण किसी भी समय, ऐसी आवास वित्त संस्था के अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा करा सकेगा और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर ऐसा अवश्य कराएगा; और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसे निरीक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट की एक प्रति आवास वित्त संस्था को देगा।

(2) आवास वित्त संस्था के प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी या उसके संपूर्ण या भागतः कार्यकलाप या उसके भाग के भारसाधक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन सब ऐसी बहियों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों को उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण कर रहे किसी अधिकारी के समक्ष पेश करे तथा उस आवास वित्त संस्था के कार्यकलाप से संबंधित ऐसा कोई विवरण और जानकारी, जैसा उक्त अधिकारी उससे अपेक्षा करे, उतने समय के भीतर दे, जितना उक्त अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

---

[1] "आवास वित्त संस्थान" के लिये अधिनियम सं. 15/2000, धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित (12 जून, 2000 से)

25. प्रत्यय-जानकारी संग्रह करने की शक्ति- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए, किसी आवास वित्त संस्था को किसी भी समय यह निदेश दे सकेगा कि वह उसे प्रत्यय-जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर दे जो राष्ट्रीय आवास बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्रत्येक आवास वित्त संस्था, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या उसके गठन को विनियमित करने वाली किसी लिखत या उसके घटकों के साथ उसके व्यवहार की गोपनीयता से संबंधित उसके द्वारा निष्पादित किसी करार में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, रिज़र्व बैंक, किसी बैंकया रिज़र्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट वित्तीय या अन्य संस्थाओं से प्रत्यय-जानकारी या अन्य जानकारी ले सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा और धारा 26 के प्रयोजनों के लिए, प्रत्यय-जानकारी से, निम्नलिखित से संबंधित जानकारी अभिप्रेत है,-

(i) ऋण और उधार की रकम तथा आवास के प्रयोजन के लिए दी गई अन्य प्रत्यय-सुविधाएं;

(ii) ऐसे ऋणों या उधार या अन्य प्रत्यय-सुविधाओं के लिए ली गई प्रतिभूति की प्रकृति;

(iii) दी गई प्रत्याभूतियां; और

(iv) कोई अन्य जानकारी, जो उधार लेने वाले की प्रत्यय-योग्यता से संबंधित है।

26. जानकारी प्रकाशित करने की शक्ति- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा अभिप्राप्त किसी प्रत्यय-जानकारी या अन्य जानकारी को, ऐसे समेकित प्ररूप में या किसी अन्य जानकारी को, ऐसे समेकित प्ररूप में या किसी अन्य प्ररूप में, जैसा वह ठीक समझे, प्रकाशित कर सकेगा।

27. सलाहकार सेवाएं- राष्ट्रीय आवास बैंक, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों और आवास से संबंधित अन्य अभिकरणों को, निम्नलिखित की बाबत सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा-

(क) ऐसी संपूर्ण नीतियों का बनाया जाना जिनका उद्देश्य आवास और आवास वित्त संस्थानों के विकास का संवर्धन करना है;

(ख) आश्रयस्थान, आवास और मानववास पर प्रभाव डालने वाले विषयों से संबंधित विधान।

अध्याय 5

निक्षेप प्राप्त करने वाली आवास वित्त संस्थाओं से संबंधित उपबंध

28. निक्षेप की परिभाषा- इस अध्याय में ''निक्षेप'' पद का वही अर्थ है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ा में है।

29. कुछ मामलों में अध्याय का लागू न होना- (1) इस अध्याय के उपबंध किसी ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा, जो फर्म या व्यष्टियों का अनिगमित संगम है, प्रतिगृहीत निक्षेपों को लागू नहीं होंगे।

(2) शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट फर्म और व्यष्टियों के अनिगमित संगम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अध्याय 3ग के उपबंधों से शामिल होते रहेंगे।

नई धारा 29क से धारा 29ग का अंत: स्थापन।

मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा और शुद्ध स्वामित्व निधि।

[1]"29क. (1) इस अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है आवास वित्त संस्था के रूप में कारबार प्रारंभ नहीं करेगी या नहीं चलाएगी जब तक कि उसने-

(क) इस अध्याय के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया गया हो; और

(ख) पचीस लाख रूपए या ऐसी उचतर रकम जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, शुद्ध स्वामित्व निधि के रूप में न रखी हो।

(2) प्रत्येक ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसे प्रारूप में जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, राष्ट्रीय आवास बैंक को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी:

परन्तु ऐसी आवास वित्त संस्था जो राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारंभ पर विद्यमान कंपनी है, राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसे प्रारंभ से छह मास की समाप्ति के पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगी और उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवास वित्त संस्था के कारबार को उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने तक या रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की नामंजूरी उसे संसूचित होने तक, जारी रख सकेगी।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी आवास वित्त संस्था जो राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 को प्रारंभ को विद्यमान कंपनी है और जिसकी शुद्ध स्वामित्व निधि पचीस लाख रूपए से कम है, ऐसी संस्था को शुद्ध स्वामित्व निधि की अपेक्षा को पूरा करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवास वित्त संस्था के कारबार को,-

(i) ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के लिए; या

(ii) ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जो राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् विस्तारित करे,

इन शर्तों के अधीन जारी रख सकेगी कि ऐसी संस्था शुद्ध स्वामित्व की अपेक्षा को पूरा करने के तीन मास के भीतर आवास बैंक को ऐसी पूर्ति के बारे में सूचित करेगी;

परंतु इस उपधारा के अधीन कारबार जारी रखने की अनुज्ञा की अवधि किसी भी दशा में कुल छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 13 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी आवास वित्त संस्था की बहियों का निरीक्षण करके या अन्यथा अपना समाधान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने की अपेक्षा कर सकेगा:-

(क) आवास विकास संस्था अपने वर्तमान या भावी निक्षेपकों को, जब कभी उनके दावे प्रोद्भूत होते हैं, पूर्ण रूप से संदेय करने की स्थिति में है या होगी;

(ख) आवास वित्त संस्था के कामकाज उसके वर्तमान या भावी निक्षेपकों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में नहीं चलाए जा रहे हैं या इस प्रकार चलाए जाने की संभावना नहीं है;

(ग) आवास वित्त संस्था के प्रबंध तंत्र का साधारण स्वरूप लोकहित या उसके निक्षेपकों के हितों के प्रतिकूल नहीं होगा;

(घ) आवास वित्त संस्था के पास पर्याप्त पूंजी ढांचा है और उपार्जन की संभावनाएं है;

(ड.) आवास वित्त संस्था के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र मंजूर करने से भारत में कारबार प्रारंभ करने या चलाने से लोकहित पूरा होगा;

(च) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी देश में आवास वित्त सैक्टर के प्रवर्तन और वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी; और

(छ) अन्य कोई शर्त, जिसका पूरा किया जाना राष्ट्रीय आवास बैंक की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आवास वित्त संस्था द्वारा भारत में कारबार प्रारंभ करने या चलाने से लोकहित पर या निक्षेपकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा कर दिया गया है, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें यह अधिरोपित करना उचित समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(6) राष्ट्रीय आवास बैंक इस धारा के अधीन किसी आवास वित्त संस्था को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगा यदि ऐसी संस्था-

(i) भारत में आवास वित्त संस्था का कारबार नहीं कर रही है; या

(ii) किसी ऐसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रही है जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था; या

(iii) किसी समय उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी-किसी को पूरा करने में असफल रहती है, या

(iv) (क) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक को जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है; या

(ख) किसी विधि की अपेक्षा के अनुसार इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किसी निदेश या आदेश में लेखा रखने में असफल रहती है; या

(ग) अपनी लेखा बहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए जब उनकी राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा वांछा की जाती है, प्रस्तुत करने या देने में असफल रहती है; या

(v) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए किसी आदेश द्वारा निक्षेप स्वीकार करना प्रतिषिद्ध कर दिया गया है और ऐसा आदेश ऐसी अवधि के लिए प्रवर्तन में रहा है जो तीन मास के कम की नहीं है;

परन्तु इस आधार पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने से पूर्व कि आवास वित्त संस्था खंड (ii) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रही है या उपधारा (4) के खंड (क) से खंड (छ) में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी को पूरा करने में असफल रही है, राष्ट्रीय आवास बैंक जब तक कि उसकी यह राय न हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र मंज़ूर करने में हुआ विलंब लोकहित या निक्षेपकों या आवास वित्त संस्था के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, ऐसे उपबंधों की अनुपालना करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए या ऐसी शर्त पूरा करने के लिए जो वह, विनिर्दिष्ट करे, ऐसी संस्था को एक अवसर देगा;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द करने का कोई आदेश करने से पूर्व ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा;

(7) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मंज़ूर करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश से व्यथित कोई आवास वित्त संस्था नामंजूरी के ऐसे ओदश या उसे की गई रद्दकरण की संसूचना से तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय जहां उसे अपील की गई है या राष्ट्रीय आवास बैंक का विनिश्चय जहां अपील नहीं की गई है, अन्तिम होगा;

परंतु अपील नामंजूर करने के किसी आदेश के लिए जाने से पूर्व ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(I) ''शुद्ध स्वामित्व निधि'' से अभिप्रेत है,-

(क) समादत्त साधारण पूंजी और खुली आरक्षितियों का योग जिन्हें आवास वित्त संस्था के अंतिम तुलन-पत्र में निम्नलिखित की कटौती करके दर्शाया गया है,-

(i) नुकसान का संचित अतिशेष;

(ii) आस्थागित राजस्व व्यय;

(iii) अन्य अमूर्त आस्तियां; और

(ख) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित रकमों को घटाया जाएगा-

(1) निम्नलिखित के शेयरों में ऐसी संस्था के विनिधान-

(i) उसकी समनुषंगियां;

(ii) उसी समूह की कंपनियां;

(iii) ऐसी अन्य सभी आवास वित्त संस्थाएं जो कंपनियां है; और

(2) निम्नलिखित को किए गए या उनके पास निक्षेपित डिबेंचरों, बोर्डों, बकाया ऋणों और अग्रिमों (इसके अंतर्गत अवक्रय और पट्टा वित्त भी है) का बही मूल्य-

(i) ऐसी कंपनी की समनुषंगी;

(ii) उस सीमा तक जहां ऐसी रकम ऊपर (क) के दस प्रतिशत से अधिक है, उसी समूह की कंपनियां;

1956 का 1

(II) ''समनुषंगियों'' और ''उसी समूह की कंपनियों'' का वही अर्थ है जो उनका कंपनी अधिनियम, 1956 में है।

अस्तियों की प्रतिशतता का रखा जाना।

29. ख. (1) प्रत्येक आवास वित्त संस्था भारत में अविल्लंगमित अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनिधान करेगी और विनिधान करना जारी रखेगी जिनका मूल्य ऐसी प्रतिभूतियों के वर्तमान बाज़ार मूल्य से अधिक ने हो, ऐसी रकम जो किसी दिन के कारबार के बंद होने पर पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी या ऐसी उच्चतर प्रतिशतता जो दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर कारबार के बंद होने पर बकाया निक्षेपों का पचीस प्रतिशत से अधिकन हो, जिसे समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(2) प्रत्येक आवास वित्त संस्था भारत में किसी अनुसूचित बैंक में निक्षेपों या निक्षेपों का प्रमाणपत्र (प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त) के रूप में या राष्ट्रीय आवास बैंक में निक्षेपों द्वारा या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांड के अभिदान द्वारा या ऐसे लेखे में या ऐसे निक्षेप में अंशतः या ऐसे अभिदान द्वारा अंशतः ऐसी राशि जो किसी दिन के कारबार की समाप्ति पर उपधारा (1) के अधीन किए गए विनिधान के साथ दस प्रतिशत से कम नहीं होगी या ऐसा उच्चतर प्रतिशत जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर कारबार के बंद होने पर आवास वित्त संस्था की बहियों में बकाया निक्षेपों के पचीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो, लेखा रखेगी।

(3) इस धारा के उपबंधों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी प्रत्येक आवास वित्त संस्था से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए विवरणी, जो राष्ट्रीय आवास बैंक विनिर्दिष्ट करें, प्रेषित करने की अपेक्षा करेगा।

(4) यदि आवास वित्त संस्था द्वारा विनिधान की गई रकम किसी दिन का कारबार बंद होने पर उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से कम है तो ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसी कमी के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक को ऐसी राशि पर जो वस्तुतः रखी गई राशि या विनिधान की गई राशि के विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम है, बैंक दर से अतिरिक्त तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्तिक ब्याज संदाय करने की दायी होगी और जहां ऐसी कमी आगामी तिमाहियों में जारी रहती है वहां शास्तिक ब्याज की दर प्रत्येक पश्चात्वर्ती तिमाही के लिए ऐसी कमी पर बैंक दर के अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(5) (क) उपधारा (4) के अधीन संदेय शास्तिक ब्याज उस तारीख से जिसको राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी सूचना जिसमें उसके संदाय की मांग की गई है आवास वित्त संस्था पर तामील की जाती है, चौदह दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और आवास वित्त संस्था द्वारा ऐसी अवधि के भीतर उसके संदाय में असफल रहने की दशा में यह उस क्षेत्र में जहां व्यतिक्रम करने वाली आवास वित्त संस्था का कार्यालय अवस्थित है की अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के निदेश द्वारा उद्ग्रहीत किया जा सकेगा और ऐसा निदेश राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस निमित्त न्यायालय को किए गए आवेदन पर ही किया जाएगा; और

(ख) जहां न्यायालय खंड (क) के अधीन कोई निदेश देता है वहां वह आवास वित्त संस्था द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र का प्रवर्तन इस प्रकार किया जाएगा जैसे कि यह किसी वाद में न्यायालय द्वारा की गई एक डिक्री हो।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रीय आवास बैंक का यह समाधान हो जाता है कि व्यतिक्रम करने वाली आवास वित्त संस्था के पास उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के पर्याप्त कारण हैं तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

''अनुमोदित प्रतिभूतियों'' से किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं जो आवास वित्त संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था के पास किसी अग्रिम या किसी अन्य इंतज़ाम के लिए, उस सीमा तक जहां तक ऐसी प्रतिभूतियां किसी रीति में नहीं निकाली गई हैं या उपयोजित नहीं की गई हैं या विल्लंगमित नहीं है, रखी गई हैं;

''तिमाही'' से मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन मास की अवधि अभिप्रेत है।

आरक्षित निधि

29ग. (1) प्रत्येक आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, एक आरक्षित निधि का सृजन करेगी और उसमें प्रत्येक वर्ष का लाभ और हानि लेखा में प्रकटित अपने शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत और कोई लाभांश घोषित करने से पूर्व, अंतरित करेगी।

1961 का 43

स्पष्टीकरण- ऐसी कोई आवास वित्त संस्था जिसने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (VIII) के निबंधनानुसार कोई विशेष आरक्षित निधि सृजित और अनुरक्षित की है, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा ऐसी विशेष आरक्षित निधि में वर्ष के लिए अंतरित किसी राशि को हिसाब में ले सकेगी।

(2) आरक्षित निधि में से किसी राशि, जिसके अंतर्गत विशेष आरक्षित निधि की कोई ऐसी राशि है जिसे उपधारा (1) के निबंधनानुसार आरक्षित निधि के प्रयोजनों के लिए हिसाब में लिया गया है, का विनियोग ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा, समय-समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के सिवाय, नहीं किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक विनियोग ऐसे निकाले जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट किया जाएगा:

परन्तु राष्ट्रीय आवास बैंक, विशिष्ट मामले में और पर्याप्त कारण दर्शित करके, इक्कीस दिन की अवधि का ऐसी अतिरिक्त अवधि से जो वह उचित समझे, विस्तार कर सकेगा या ऐसी रिपोर्ट करने में हुए किसी विलंब को माफ कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारिश पर और किसी आवास वित्त संस्था की, जो एक कंपनी है, समादत्त पूंजी और

आरक्षित निधियों की पर्याप्तता पर उसके निक्षेप दायित्वों के संबंध में विचार करके लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी आवास वित्त संस्था को लागू नहीं होंगे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर प्रीमियम लेखा की रकम के साथ (1) के अधीन आरक्षित निधि की रकम आवास वित्त संस्था की समादत्त पूंजी से कम न हो। नई धारा 29क से धारा 29ग का अंत: स्थापन।

नई धारा का अंत स्थापन

30. धन के निक्षेप की याचना करने वाले प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन का राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमन का प्रतिषेध- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा-

(क) जनता से धन के निक्षेपों की याचना करने वाले किसी प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन के किसी आवास वित्त संस्था द्वारा निकाले जाने का विनियमन या प्रतिषेद कर सकेगा; तथा

(ख) वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन पर कोई ऐसा प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन उस दशा में, जिसमें कि उसका निकाला जाना प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, निकाला जा सकेगा।

पालिसी अवधारित करने और निदेश जारी करने की राष्ट्रीय आवास बैंक की शक्ति।

मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी

[1]"30क. (1) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या देश की आवास वित्त प्रणाली को इसके फायदे के लिए विनियमित करने या किसी आवास वित्त संस्था के कामकाज को निक्षेपकों के हित में अपायकर रीति में करने या आवास वित्त संस्थानों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में करने से निवारित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह, धारा 5 की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए पालिसी अवधारित कर सकेगा और सभी या किसी आवास वित्त संस्थानों को आय मान्यता, लेखा मानक, डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उचित व्यवस्था करने के लिए, तुलनपत्र इतर मदों के लिए आस्तियों और प्रत्यय संपरिवर्तन कारकों के लिए जोखिम भरा पर आधारित पूंजी की पर्याप्तता और यथास्थिति, किसी आवास वित्त संस्था या किसी आवास वित्त संस्थाओं के समूह या साधारणतया आवास वित्त संस्थाओं के संबंध में भी निवेश जारी कर सकेगा और ऐसी आवास वित्त संस्थाएं इस प्रकार अवधारित पालिसी या इस प्रकार जारी निदेश का अनुसरण करने के लिए बाध्य होंगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त संस्थाओं को साधारणतया या आवास वित्त संस्थाओं के किसी समूह या विशिष्टतया किसी आवास वित्त संस्था को निम्नलिखित के संबंध में निदेश जारी कर सकेगा-

(क) उस प्रयोजन के लिए जिसके अग्रिमों या अन्य निधि आधारित या ग़ैर निधि आधारित सुविधा नहीं की जा सकेगी; और

(ख) अग्रिमों की अधिकतम रकम या अन्य वित्तीय सुविधा या शेयरों में विनिधान और अन्य प्रतिभूतियां जो आवास वित्त संस्था की समादत्त पूंजी, आरक्षितियों और निक्षेपों तथा अन्य सुसंगत बातों पर विचार करके उस आवास वित्त संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी या कंपनियों के समूह को दी जा सकेंगी।"

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 15 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

31. आवास वित्त संस्थाओं से यह जानकारी संग्रहीत करने की कि उनके यहां कितने निक्षेप हैं तथा उन्हें निदेश देने की राष्ट्रीय आवास बैंक की शक्ति- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी समय यह निदेश दे सकेगा कि निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली आवास वित्त संस्था, उस आवास वित्त संस्था द्वारा प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे कथन, ऐसी जानकारी या विशिष्टियां राष्ट्रीय आवास बैंक को, ऐसे प्ररूप में, ऐसे अंतरालों पर और इतने समय के भीतर दे जो राष्ट्रीय आवास बैंक ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट किया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह है कि जो कथन, जानकारी या विशिष्टियां उपधारा (1) के अधीन दी जानी हैं, वे निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी से संबंधित हो सकेगी, अर्थात् निक्षेपों की रकम, वे प्रयोजन और अवधियां जिनके लिए तथा ब्याज की वे दरें और अन्य निबंधन और शर्तें, जिन पर वे प्राप्त की जाती हैं।

(3) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो निक्षेपों पर देय ब्याज की दरों[1] सहित तथा उन कालावधियों सहित, जिनके लिए ऐसे निक्षेप प्राप्त किए जा सकेंगे और ऐसे निक्षेपों से संबंधित या संसक्त किन्हीं बातों की बाबत निदेश, निक्षेप ग्रहण करने वाली आवास वित्त संस्थाओं को, साधारणत: या आवास वित्त संस्थाओं के किसी समूह को विशिष्टत: दे सकेगा।

(4) यदि निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली कोई आवास वित्त संस्था उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक, उस आवास वित्त संस्था द्वारा निक्षेपों का प्रतिगृहीत किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(5) निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली प्रत्येक आवास वित्त संस्था, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यह अपेक्षा की जाने पर, तथा उतने समय के भीतर जितना राष्ट्रीय आवास बैंक विनिर्दिष्ट करे, अपने वार्षिक तुलनपत्र की तथा लाभ-हानि लेखा की या अन्य वार्षिक लेखा की उस रूप मे, जिसमें कि वे उस वर्ष के अंतिम दिन हैं जिससे लेखा संबंधित है, एक प्रति अपने खर्चे पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को भिजवाएगी जिससे उनके पास उतनी राशि से अधिक के निक्षेप हैं जितनी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं।

32. राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित विवरण आदि देने का आवास वित्त संस्थाओं का कर्तव्य- प्रत्येक आवास वित्त संस्था इस अध्याय के उपबंधों के अधीन मांगे गए विवरण, जानकारी या विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, देंगी और दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करेगी। धारा 13 का संशोधन।

33. लेखापरीक्षकों की शक्तियां और कर्तव्य- (1) प्रत्येक आवास वित्त संस्था का लेखापरीक्षक यह जांच करेगा कि आवास वित्त संस्था ने, उसको प्राप्त निक्षेपों से संबंधित या संसक्त ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां राष्ट्रीय आवास बैंक को दी है या नहीं जिनके दिए जाने की इस अध्याय के अधीन अपेक्षा की गई है और लेखापरीक्षक उस आवास वित्त संस्था द्वारा धारित ऐसे निक्षेपों की कुल धनराशि की रिपोर्ट, राष्ट्रीय आवास वित्त बैंक को भेजेगा, किंतु उस दशा में नहीं भेजेगा जिसमें ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो गया हो कि उस आवास वित्त संस्था ने ऐसे विवरण, जानकारी या विशिष्टियां दे दी हैं। धारा 33 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (3) में, "तो निक्षेपों पर देय ब्याज की दरों सहित "शब्दों के स्थान पर "तो निक्षेपों को स्वीकार करने वाली आवास वित्त संस्था की उधार दर, निक्षेपों पर देय ब्याज की दरों सहित" शब्द रखे जाएंगे।

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 14 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[1]''(1क) राष्ट्रीय आवास बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं के हित में अथवा लेखा बहियों के समुचित निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी ऐसी आवास वित्त संस्था को या ऐसी आवास वित्त संस्था के किसी समूह को या साधारणतया आवास वित्त कंपनियों को या ऐसी आवास वित्त संस्था के लेखापरीक्षकों को या तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, लेखाबहियों में दायित्वों का प्रकटन या उससे संबंधित किसी विषय के बारे में निदेश जारी कर सकेगा।''

(2) जहां, किसी ऐसी आवास वित्त संस्था की दशा में, जो कंपनी है, लेखापरीक्षक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट भेज दी है या भेजने का आशय है तो वह उस रिपोर्ट की जो उसने राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी है या भेजने का आशय है, अंतर्वस्तु को, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 227 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित करेगा।

[2]''(3) जहां, राष्ट्रीय आवास बैंक की यह राय हो कि लोकहित में या आवास वित्त संस्था के हित में अथवा ऐसी संस्था के निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो यह किसी भी समय आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे किसी संव्यवहार या संव्यवहारों के वर्ग या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक विशेष लेखापरीक्षा की जाएगी और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी विशेष लेखापरीक्षा को करने के लिए किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को नियुक्त कर सकेगा और लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।

(4) लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा नियत किया जाए, लेखापरीक्षा में अंतर्वलित क्रिया की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए होगा तथा लेखापरीक्षा के व्यय और आनुषंगिक व्यय इस प्रकार संपरीक्षित किए गए आवास वित्त संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।''

नई धारा 33क और 33ख का अंतः स्थापन।

मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

आवास वित्त संस्था की निक्षेप और आस्तियों के अन्य संक्रामण को स्वीकार करने से प्रतिषेध करने की शक्ति।

[3]''33क. (1) यदि कोई आवास वित्त संस्था, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन, किसी धारा उपबंधों का व्यतिक्रम करती है या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा दिए गए किसी निदेश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है तो, आवास वित्त संस्था किसी निक्षेप को स्वीकार करने से निषिद्ध कर सकेगी।

(2) किसी करार या लिखत या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, आवास वित्त संस्था को, जिसको निक्षेप स्वीकार करने का प्रतिषेध करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, राष्ट्रीय आवास बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना उसकी सम्पत्ति या आस्तियों का किसी भी रीति से विक्रय, अंतरण, प्रभार, सृजन या बंधक या संव्यवहार न करने का, ऐसी अवधि तक के लिए जो आदेश की तारीख से छह मास से अनधिक हो, निदेश दे सकेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक की परिसमापन अर्जी फाइल करने की शक्ति।

33ख. (1) राष्ट्रीय आवास बैंक, यह समाधान हो जाने पर कि कोई आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है-

(क) अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थ है; या

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 16 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 16(ख) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[3] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 17 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(ख) धारा 29क के उपबंधों के कारण किसी आवास वित्त संस्था का कारोबार करने से निरर्हित हो जाती है; या

(ग) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किसी आदेश निक्षेप स्वीकार करने से प्रतिषिद्ध कर दी जाती है और ऐसा आदेश तीन मास से अन्यून की अवधि के लिए प्रवृत्त रहा है; या

(घ) आवास वित्त संस्था का बने रहना, लोकहित या कंपनी के निक्षेपकर्ताओं के हित के अनुसार अवधारित किया जाता है,

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन ऐसी आवास वित्त संस्था के परिसमापन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा। 1956 का 1

(2) कोई आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थ समझी जाएगी यदि उसने अपने कार्यालयों या शाखाओं में की गई किसी विधिपूर्ण मांग को, पांच कार्यकरण दिवसों, के भीतर पूरा करने से इंकार कर दिया जाता है या असफल हो जाता है और राष्ट्रीय आवास बैंक लिखित में यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसी कंपनी अपने ऋण का संदाय करने में असमर्थहै।

34. निरीक्षण-(1) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी समय अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी एक या अधिक अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा (जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात् निरीक्षक प्राधिकारी कहा गया है) निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली आवास वित्त संस्था का निरीक्षण ऐसे किसी विवरण, जानकारी या विशिष्टियों के, जो राष्ट्रीय आवास बैंक को भेजी गई है, सही या पूर्ण होने का सत्यापन करने के प्रयोजनो के लिए या कोई ऐसी जानकारी या विशिष्टियां अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए करा सकेगा जिन्हें वह आवास वित्त संस्था ऐसा करने की मांग की जाने पर देने में असफल रही है।

(2) ऐसे प्रत्येक निदेशक, किसी समिति या निकाय के सदस्य का या किसी व्यक्ति का, जिसमें निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली किसी आवास वित्त संस्था के कार्यकलाप का प्रबंध तत्समय पूर्णत: या भागत: निहित है, या उसके अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि उसकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन जो भी बहियां, लेखे और अन्य दस्तावेज़ हैं उन्हें निरीक्षक प्राधिकारी के समक्ष पेश करे तथा उस प्राधिकारी को उस संस्था के कारबार से संबंधित ऐसे विवरण और जानकारी, जिसकी वह प्राधिकारी उससे अपेक्षा करे, इतने समय के भीतर दे, जितना उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(3) निरीक्षक प्राधिकारी ऐसे किसी निदेशक , समिति या निकाय के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें, निक्षेप प्रतिगृहीत करने वाली आवास वित्त संस्था के कार्यकलाप का प्रबंध तत्समय निहित है, अथवा उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी की उस संस्था के कारबार के संबंध में, शपथ पर, परीक्षा कर सकेगा।

35. अप्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निक्षेपों की याचना न किया जाना- व्यक्ति किसी आवास संस्था की ओर से जनता से धन के निक्षेपों की, कोई प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन प्रकाशित करके या करवाकर या किसी भी अन्य रीति से, तब तक याचना नहीं करेगा जब तक-

(क) उक्त आवास वित्त संस्था द्वारा उसे ऐसा करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत न किया गया हो और वह उस संस्था का नाम विनिर्दिष्ट न करे जिसने उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया है, और

(ख) वह प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन धारा 30 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए किसी आदेश और तत्समय प्रवृत्त विधिक किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में न हो जो ऐसे प्रास्पेक्ट्स या विज्ञान के प्रकाशन को लागू होता है।

नई धारा 35क और 35ख का अंत: स्थापन।

मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्

सूचना का प्रकटन

[1]35क.(1) किसी आवास वित्त संस्था से संबंधित कोई जानकारी,

(क) जो इस अध्याय के उपबंध के अधीन किसी संस्था द्वारा प्रस्तुत किसी विवरण या विवरणी में है; या

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लेखापरीक्षा या निरीक्षण या अन्यथा की मार्फत प्राप्त होती है,

गोपनीय समझी जाएगी और इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) इस धारा की कोई बात,-

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुज्ञा से, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक को दी गई जानकारी, किसी आवास वित्त संस्था द्वारा प्रकट किए जाने;

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, उपधारा (1) के अधीन संग्रहण की गई कोई जानकारी के ऐसे समेकित प्ररूप में जो वह उपयुक्त समझे, किसी आवास वित्त संस्था या इसके उधार लेने वालों के नाम को प्रकट किए बिना, प्रकाशन को लागू नहीं होगी;

(ग) किसी ऐसी जानकारी के आवास वित्त संस्था या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, किसी अन्य आवास वित्त संस्था या ऐसी संस्थाओं के मध्य पद्धति और प्रथा के अनुसार अथवा जो किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञात या अपेक्षित हो, प्रकट करने को लागू नहीं होगा;

परन्तु यह कि इस खंड के अधीन आवास वित्त संस्था के द्वारा प्राप्त की गई किसी ऐसी जानकारी को संस्थाओं के मध्य पद्धति और प्रथा के अनुसार अथवा जो किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञा या अपेक्षित के सिवाय प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रीय आवास बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या निक्षेपकर्ताओं के हित में अथवा किसी ऐसी आवास वित्त संस्था के कार्य का निवारित करने के लिए जो निक्षेपकर्ताओं के हित के विरूद्ध जानबूझकर किया जा रहा है ऐसा करना समीचीन है तो वह स्वप्रेरणा से या अनुरोध किए जाने पर किसी आवास वित्त संस्था द्वारा कारबार करने से संबंधित कोई जानकारी किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकारी को दे सकेगा या संसूचित कर सकेगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय या अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण राष्ट्रीय आवास बैंक को, इस अध्याय के किसी उपबंध के अधीन राष्ट्रीय बैंक के द्वारा प्राप्त किसी विवरण या अन्य सामग्री को पेश करने या निरीक्षण करने के लिए बाध्य नहीं करेगी।

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 18 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

35ख. राष्ट्रीय आवास बैंक यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि इस अध्याय का कोई या सभी उपबंध किसी वित्त संस्था या आवास वित्त संस्थाओं के किसी समूह को या न तो साधारण रूप से लागू होंगे या ऐसी अवधि के लिए ऐसी शर्तों, सीमाओं या निबंधनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें व अधिरोपित करना उचित समझे, लागू नहीं होंगे।''

36. अध्याय 5 का अन्य निधियों पर अध्यारोही होना- इस अध्याय के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

नई धारा 36क और 33ख का अंत: स्थापन।

[1]''36क. (1) किसी आवास वित्त संस्था द्वारा स्वीकार किया गया प्रत्येक निक्षेप, जो एक कंपनी है, जब तक नवीकृत नहीं हो जाता है, ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाएगा।

निक्षेप का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति

(2) जहां कोई आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, वहां ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कोई निक्षेप या उसके भाग का भुगतान करने में असफल रही है वहां राष्ट्रीय आवास बैंक का ऐसा अधिकारी जिसे इस धारा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकृत अधिकारी'' कहा गया है), यदि उसका स्वप्रेरणा से या निक्षेपकर्ता के आवेदन पर, यह समाधान हो जाता है कि आवास वित्त संस्था, निक्षेपकर्ता के हितों की सुरक्षा के लिए अथवा लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसे निक्षेप या उसके भाग का भुगतान तुरंत या ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं;

परन्तु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, आवास वित्त संस्था इस विषय से हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे सकेगा।

36ख. (1) जहां कोई निक्षेप आवास वित्त संस्था द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खाते में रखा जाता है वहां, यथास्थिति, निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में एक व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगी एकमात्र निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में निक्षेप की राशि को आवास वित्त संस्था द्वारा लौटा दिया जा सकेगा। 1949 का 10

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अभिसाक्ष्य में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निक्षेप की बाबत चाहे वसीयती हो या अन्यथा जहां किसी नाम निर्देशन से किसी व्यक्ति पर, आवास वित्त संस्था से निक्षेप की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करना तात्पर्यित हो, वहां नाम निर्देशित, यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं के सभी अधिकारियों का, सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए जब तक कि, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में फेरफार या रद्दकरण नहीं कर दिया जाता है, हकदार होगा। 1949 का 10

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 19 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(3) जहां नाम निर्देशिती कोई अवयस्क है, वहां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में, नामनिर्देशितती की अवयस्कता के दौरान उसकी मृत्यु की दशा में, निक्षेप की राशि को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशिता नियुक्त करना, निक्षेपकर्ता के लिए विधिपूर्ण होगा। 1949 का 10

(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवास वित्त संस्था द्वारा किए गए संस्था से निक्षेपकर्ता की बाबत उसके दायित्व का आवास वित्त संस्था को पूर्ण निर्वहन होगा;

परन्तु यह कि उस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसको इस धारा के अधीन संदाय किया गया है।

(5) किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न जिनके नाम में कोई निक्षेप आवास वित्त संस्था द्वारा धारित है, किसी व्यक्ति के दावे की सूचना न तो आवास वित्त संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकेगी और न ही ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसी सूचना के लिए आबद्ध होगी भले ही वह इसे अभिव्यक्त रूप से दी गई हो;

परन्तु यह कि जहां ऐसे निक्षेप की बाबत सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय से किसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार को किसी आवास वित्त संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहां आवास वित्त संस्था ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकारी को ध्यान में रखेगा।"

नए अध्याय 5क का अंत: स्थापन।

मूल अधिनियम के अध्याय 5 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

[1]अध्याय 5क

आवास वित्त संस्थाओं से संबंधित अन्य उपबंध

परिभाषाएं।

36ग. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अपील अधिकरण'' से धारा36झ के अधीन अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) ''अनुमोदित संस्था'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

कोई आवास वित्त संस्था जिसे धारा 29क की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदत्त है;

कोई अनुसूचित बैंक;

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किए गए आवास बंधकों के प्रतिभूतिकरण के संव्यवहार में न्यासी या अन्यथा के रूप में कार्यकारी राष्ट्रीय आवास बैंक;

ऐसी अन्य संस्थाएं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की सिफारशि पर अधिसूचना द्वाराविहित की जाएं;

(ग) सहायता से किसी संस्था द्वारा की गई कार्रवाइयों के अनुक्रम के दौरान उसके द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता अभिप्रेत है;

(घ) ''उधार लेने वाला'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको किसी आवासीय गृह, क्रय, निर्माण, मरम्मत, विस्तार या नवीकरण के प्रयोजन के लिए किसी अनुमोदित संस्था द्वारा सहायता दी गई है;

(ड.) ''शोध्य'' से ऐसा दायित्व अभिप्रेत है जिसे, किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति से शोध्य के रूप में दावा किया गया है और जिसमें उसके संबंध में संदेय ब्याज, लागत, प्रभार और अन्य राशि सम्मिलित है;

(च) ''वसूली अधिकारी'' से धारा 36घ के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

वसूली अधिकारी की नियुक्ति।

36घ. (1) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों को अधिसूचना द्वारा, अनुमोदित संस्था के अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो वह उपयुक्त समझे, जो इस अध्याय के प्रयोजन के लिए वूसली अधिकारी होंगे और जिनके पास ऐसी अर्हताएं होंगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित करे।

(2) स्थानीय सीमाएं जिनके भीतर वसूली अधिकारी इस अध्याय के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विहित की जाएं।

वसूली अधिकारी को आवेदन किया जाना ।

36ड.(1) जहां, ऐसा उधार लेने वाला, जो किसी करार के अधीन किसी अनुमोदित संस्था के दायित्वाधीन है, किसी सहायता या उसकी किस्त के भुगतान में व्यतिक्रम करता है या उक्त करार के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है तब, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुमोदित संस्था, उस वसूली अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उधार लेने वाला वास्तव में और स्वैच्छिक रूप से निवास करता है या कारबार करता है अथवा लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या संपूर्ण रूप से या भागत: कार्य करवाता है,

[1] नया ''अध्याय 5क'' अधिनियम सं. 15/2000, धारा 20 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

शोध्यों के लिए प्रतिभूति के रूप में अनुमोदित संस्था को गिरवी रखी गई, बंधक की गई, आडमान की गई या समनुदेशित संपत्ति के विक्रय के लिए आवेदन कर सकेगी।

(2) जहां किसी अनुमोदित संस्था ने, जिसे किसी उधार लेने वाले से अपने शोध्यों को वसूल करना है, उपधारा (1) के अधीन वसूली अधिकारी को कोई आवेदन फाइल किया है और वही संपत्ति किसी अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्ति के पास भी गिरवी, बंधक, आडमान या समनुदेशित है तो अन्य अनुमोदित संस्था या व्यक्त, उस वसूली अधिकारी को एक आवेदन करके, अंतिम ओदश पारित होने से पूर्व कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर अनुमोदित संस्था के साथ सम्मिलित हो सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आवेदन में, अनुमोदित संस्था या व्यक्ति को उधार लेने वाले के दायित्व की प्रकृति और सीमा, वे आधार जिन पर उन्हें बनाया गया है, कथित किए जाएंगे और ऐसे प्ररूप में होंगे तथा उनके साथ ऐसे दस्तावेज़ या अन्य साक्ष्य लगे होंगे, जो विहित किए जाएं।

धारा ड. के अधीन आवेदन की बाबत प्रक्रिया।

36च. (1) धारा 36ड. के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, यदि वसूली अधिकारी की यह राय है कि उधार लेने वाला किसी करार के अधीन किसी अनुमोदित संस्था के दायित्व के अधीन है, या उसने सहायता अथवा उसने किसी किस्त के प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम किया है या उक्त करार के निबंधनों के अनुपालन में अन्यथा असफल हो गया है तो वह ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, उधार लेने वाले को एक लिखित मांग सूचना तामील कराएगा जिसमें सूचना में विनिर्दिष्ट रकम या उसकी तामील की तारीख से नव्वे दिन की अवधि के भीतर उसे संदाय करने की या यह हेतु दर्शित करने की कि प्रार्थित अनुतोष क्यों नहीं अनुदत्त किया जाए, अपेक्षा की जाएगी।

(2) वसूली अधिकारी, आवेदक और उधार लेने वाले को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन पर ऐसा अंतरिम या अंतिम आदेश पारित कर सकेगा, जिसके अंतर्गत उस तारीख से, जिसको या जिसके पूर्व रकम का संदाय शोध्य पाया जाता है, वसूली या वास्तविक संदाय की तारीख तक, जो वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ठीक समझे, ब्याज के संदाय का आदेश भी है।

(3) वसूली अधिकारी उधार लेने वाले द्वारा अनुमोदित संस्था या व्यक्ति के विरूद्ध मुजराई के किसी दावे या स्थपित प्रतिदावे पर भी विचार कर सकेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है तो अनुज्ञात करेगा।

(4) वसूली अधिकारी अपने द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति अनुमोदित संस्था और उधार लेने वाले को देगा।

(5) वसूली अधिकारी, उधार लेने वाले के विरूद्ध किसी ऐसी संपत्ति के विरूद्ध, जिसे शोध्य के लिए प्रतिभूति के रूप में अनुमोदित संस्था को गिरवी रखा गया है, बंधक रखा गया है, आडमान या समनुदिष्ट किया गया है, अंतरित, अन्यसंक्रमित या अन्यथा उससे व्यवहार करने से उसे विवर्जित करने के लिए अंतरिम आदेश (चाहे व्यादेश या रोक के रूप में कुर्की के रूप में) कर सकेगा।

(6) धारा 36ड. के अधीन वसूली अधिकारी को किए गए आवेदन पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वह आवेदन का अंतिम रूप से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर निपटारा कर दे।

वसूली अधिकारी के आदेश का प्रवर्तन।

36छ. (1) जहां उधार लेने वाला आदेश का उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन करने से इंकार कर देता है या असफल रहता है, वहां वसूली अधिकारी किसी ऐसी सहायता के लिए, जिसकी बाबत व्यतिक्रम किया गया है, प्रतिभूति के रूप में अनुमोदित संस्था को गिरवी, बंधक रखी गई, आडमान या समनुदिष्ट की गई किसी संपत्ति का कब्जा ले सकेगा और ऐसी संपत्ति का विक्रय, पट्टा के रूप में या अन्यथा, अंतरण कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन विक्रय, पट्टा के रूप में या अन्यथा कोई अंतरण ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) वसूली अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए संपत्ति के किसी अंतरण से अंतरित संपत्ति में या उसके लिए सभी अधिकार अंतरिती में निहित हो जाएंगे।

(4) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उधार लेने वाले के विरूद्ध कोई कार्रवाई की गई है, वहां ऐसे सभी खर्च, प्रभार, व्यय, जो वसूली अधिकारी की राय में उसके द्वारा उसके आनुषंगिक रूप में समुचित रूप से उपगत किया गया है, उधार लेने वाले से वसूलनीय होंगे और उस धन का, जो उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में उसके द्वारा न्यास में धारण किया जाएगा जिसका उपयोजन प्रथमतः ऐसे खर्चों, प्रभारों और व्ययों के संदाय में और द्वितीयतः अनुमोदित संस्था को शोध्य ऋण के उन्मोचन में किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त धन के शेष का संदाय उसके हकदार व्यक्ति को किया जाएगा।

(5) यदि अनुमोदित संस्था के शोध्य, वसूली अधिकारी द्वारा उपगत सभी ख़र्चों, प्रभारों और व्ययों सहित, अनुमोदित संस्था को या वसूली अधिकारी को विक्रय या अंतरण के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी समय परिदत्त कर दिया जाता है तो संपत्ति का विक्रय या अंतरण नहीं किया जाएगा और उस संपत्ति के अंतरण या विक्रय के लिए कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे।

मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट का वूसली अधिकारी की संपत्ति का भारसाधन लेने में सहायता किया जाना।

36ज. (1) जहां किसी संपत्ति का धारा 36ड. द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में विक्रय किया जाता है या उसे पट्टे पर दिया जाता है, वहां वसूली अधिकारी, किसी ऐसी संपत्ति को अभिरक्षा या नियंत्रण में लेने के प्रयोजन के लिए, उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसी संपत्ति स्थित है या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज़ पाए जाएं, उनका कब्ज़ा लेने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा और यथास्थिति, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, उसको किए गए ऐसे अनुरोध पर,-

(क) ऐसी संपत्ति या उससे संबंधित दस्तावेज़ों का कब्जा लेगा; और

(ख) उन्हें वसूली अधिकारी को भेजेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे उपाय कर सकेगा या करा सकेगा और ऐसे बल का उपयोग करेगा या करा सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो।

(3) इस धारा के अनुसरण में किया गया मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट का कोई कार्य किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अपील अधिकरण की स्थापना

36.(1) केन्द्रीय सरकार, एक या अधिक अपील अधिकरण, जिन्हें आवास वित्त संस्था ऋण वसूली अपील अधिकरण कहा जाएगा, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन ऐसे अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, स्थापित करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना में, उन क्षेत्रों को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को अन्य अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

अपील अधिकरण की संरचना।

36य. अपील अधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी कहा गया है), जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जाएगी।

अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति।

36ट. कोई व्यक्ति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह-

(क) जिला न्यायाधीश न हो या न रहा हो या होने के लिए अर्हित न हो;

(ख) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य न रहा हो और उस सेवा के ग्रेड 2 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण न किया हो।

अपील अधिकरण गठित करने वाले आदेश अंतिम होंगे और उसकी कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।

पदावधि।

36ठ. किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या तब तक जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, दोनों में से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

अपील अधिकरण के कर्मचारीवृंद।

36ड (1) केन्द्रीय सरकार अपील अधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने वह सरकार ठीक समझे।

(2) अपील अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

(3) अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

पीठासीन अधिकारी के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

36. किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु किसी पीठासीन अधिकारी को न तो वेतन और भत्तों में नही अन्य निबंधनों और शर्तों में नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।

रिक्तियों का भरा जाना ।

36ण. यदि अस्थायी अनुपस्थिति से अन्यथा किसी कारण से किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में कोई रिक्त होती है तो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त करेगी और कार्यवाहियां अपील अधिकरण के समझ उस प्रक्रम से जारी रह सकेंगी जिस पर रिक्ति को भरा जाता है।

त्यागपत्र और हटाया जाना।

36त. (1) किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखत रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु उक्त पीठासीन अधिकारी, जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपना पर शीघ्र छोड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के समाप्त होने तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति को अपना ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि के समाप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा।

(2) किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उसके पद से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात्, जिसमें संबद्ध पीठासीन अधिकारी को उसके विरूद्ध आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो, साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा, पूर्वोक्त पीठासीन अधिकारी के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण् के लिए प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकेगी।

अपील अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार।

36थ. किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने वाला केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी रीति से केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि किसी अपील अधिकरण के स्थापन में कोई त्रुटि है।

अपील अधिकरण को अपील।

36द. कोई अपील अधिकरण इस अधिनियम के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा किए गए या समझे गए किसी आदेश के विरूद्ध अपीलें ग्रहण करने की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

36ध.(1) इस अध्याय के अधीन वसूली अधिकारी द्वारा किए गए या समझे गए किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति उस अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी उस मामले में अधिकारिता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वसूली अधिकारी द्वारा किए गए या किए गए समझे गए आदेश की प्रति उसके द्वारा प्राप्त की जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होंगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए: परंतु अपील अधिकरण उक्त पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(3) अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने वाले उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) अपील अधिकरण अपने द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति अपील के पक्षकारों को और संबद्ध अधिकारी को भेजेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील के संबंध में उसके द्वारा यथासंभव शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि अपील का अंतिम रूप से निपटारा अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर हो जाए।

अपील फाइल करने पर शोध्य रकम का जमा किया जाना।

36न. जहां किसी उधार लेने वाले द्वारा अपील की जाती है वहां ऐसी अपील का ग्रहण अपील अधिकरण द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति ने अपील अधिकरण के पास वसूली अधिकारी द्वारा अवधारित रूप में उससे शोध्य रकम का पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो:

परंतु अपील अधिकरण, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, इस धारा के अधीन जमा की जाने वाली रकम की अभित्यजन कर सकेगा या उसे कम कर सकेगा।

प्रक्रिया और वसूली अधिकारी तथा अपील अधिकरण की शक्तियां।

36प. (1) वसूली अधिकारी और अपील अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा आबद्ध नहीं होंगे किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे और इस अधिनियम के तथा किन्हीं विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए वसूली अधिकारी और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिनके अंतर्गत वे स्थान भी हैं जहां वे आसीन होंगे।

(2) वसूली अधिकारी और अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करते

समय वहीं शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे हाज़िर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावज़ों के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की उपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ड.) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(च) व्यतिक्रम के लिए आवेदन को खारिज करना या उसके संबंध में एकपक्षीय विनिश्चय करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए किसी आवेदन को खारिज करने के किसी आदेश को या उसके द्वारा पारित एकपक्षीय किसी आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य बात जो विहित की जाए।

(3) वसूली अधिकारी और अपील अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंतर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और वसूली अधिकारी या अपील अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 1860 का 16

1974 का 2

1963 का 36

36फ. परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध, जहां तक हो सके, वसूली अधिकारी को किए गए किसी आवेदन को लागू होंगे।

1860 का 45

36ब. किसी अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों तथा वसूली अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। पीठासीन अधिकारी, वसूली अधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

36भ. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम या आदेश के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध या किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध या वसूली अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

36म. इस अध्याय में विनिर्दिष्ट विषयों में किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को कोई अधिकारिता, शक्तियां या प्राधिकार नहीं होगा या उसका प्रयोग करने का हक नहीं होगा (सिवाय उच्चतम न्यायालय और उस उच्च न्यायालय के, जो संविधान के अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है)। अधिकारिता का वर्जन।

36य. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, धारा 36झ के अधीन किसी क्षेत्र के लिए अपील अधिकरण की स्थापना तक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 के अधीन स्थापित अपील अधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। अंतः कालीन उपबंध।

मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (5) में, ''तीन मास'' शब्दों के स्थान पर, ''चार मास'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 40 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:- नई धारा 43क का अंतः स्थापना।

''43क. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अधिकारियों को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्यों में से ऐसी शक्तियां और कर्तव्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

''36 क. (1) किसी आवास वित्त संस्था द्वारा स्वीकार किया गया प्रत्येक निक्षेप, जो एक कंपनी है, जब तक नवीकृत नहीं हो जाता है, ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाएगा। निक्षेप का भुगतान करने का आदेश देने की शक्ति।

(2) जहां कोई आवास वित्त संस्था, जो एक कंपनी है, वहां ऐसे निक्षेप के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कोई निक्षेप उसके भाग का भुगतान करने में असफल रही है वहां राष्ट्रीय आवास बैंक का ऐसा अधिकारी जिसे इस धारा के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकृत अधिकारी'' कहा गया है), यदि उसका स्वप्रेरणा से या निक्षेपकर्ता के आवेदन पर, यह समाधान हो जाता है कि आवास वित्त संस्था, निक्षेपकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए अथवा लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसे निक्षेप या उसके भाग का भुगतान तुरंत या ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए करें जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं; नई धारा 36क और 33ख का अंत: स्थापन।

परन्तु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, इस उपधारा के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व, आवास वित्त संस्था इस विषय से हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे सकेगा।

36ख.(1) जहां कोई निक्षेप आवास वित्त संस्था द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों के खाते में रखा जाता है वहां, यथास्थिति, निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में एक व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगी जिसको एकमात्र निक्षेपकर्ता या सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में निक्षेप की राशि को आवास वित्त संस्था द्वारा लौटा दिया जा सकेगा। 1949 का 10

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अभिसाक्ष्य में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे निक्षेप की बाबत चाहे वसीयती हो या अन्यथा जहां किसी नाम निर्देशन से किसी व्यक्ति पर, आवास वित्त संस्था से निक्षेप की राशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त करना तात्पर्यित हो, वहां नाम निर्देशि, यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता की मृत्यु पर यथास्थिति, एकमात्र निक्षेपकर्ता या निक्षेपकर्ताओं के सभी अधिकारों का, सभी अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए जब तक कि, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में फेरफार या रद्दकरण नहीं कर दिया जाता है, हकदार होगा। 1949 का 10

(3) जहां नाम निर्देशिती कोई अवयस्क है, वहां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45यक के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में, नामनिर्देशिती की अवयस्कता के दौरान उसकी मृत्यु की दशा में, निक्षेप की राशि को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नाम निर्देशिती नियुक्त करना, निक्षेपकर्ता के लिए विधिपूर्ण होगा। 1949 का 10

(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किसी आवास वित्त संस्था द्वारा किए गए संस्था से निक्षेपकर्ता की बाबत उसके दायित्व का आवास वित्त संस्था को पूर्ण निर्वहन होगा;

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या दावे को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी व्यक्ति का किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध जिसको इस धारा के अधीन संदाय किया गया है।

(5) किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से भिन्न जिनके नाम में कोई निक्षेप आवास वित्त संस्था द्वारा धारित है, किसी व्यक्ति के दावे की सूचना न तो आवास वित्त संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकेगी और न ही ऐसी आवास वित्त संस्था ऐसी सूचना के लिए आबद्ध होगी भले ही वह इसे अभिव्यक्त रूप से दी गई हो;

परन्तु यह कि जहां ऐसे निक्षेप की बाबत सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय से किसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार को किसी आवास वित्त संस्था के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहां आवास वित्त संस्था ऐसी डिक्री, आदेश, प्रमाणपत्र या अन्य प्राधिकार को ध्यान में रखेगा।''

अध्याय 6

निधियां, लेखे और लेखापरीक्षा

37. साधारण निधि और अन्य निधियां- (1) ऐसी तारीख से जो रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, राष्ट्रीय आवास बैंक साधारण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सभी संदाय उक्त साधारण निधि में से किए जाएंगे।

(2) बोर्ड, यदि रिज़र्व बैंक ऐसा निदेश देता है तो एक विशेष निधि या एक आरक्षित निधि या ऐसी निधियां, जैसी विहित की जाएं, सृजित कर सकेगा, और ऐसा अवश्य करेगा।

38. राष्ट्रीय आवास बैंक के तुलनपत्र, आदि तैयार करना- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक का तुलनपत्र और लेखे ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति से तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों और लेखाओं को हर वर्ष जून के तीसवें दिन बंद और संतुलित करवाएगा।

39. अधिशेष का व्ययन- डूबंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और उन सब बातों के लिए, जिनकी बाबत उपबंध करना आवश्यक या समीचीन हो या जिनके लिए बैंककारों द्वारा प्राय: उपबंध किया जाता है, उपबंध करने के पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक:-

(i) उस लेखा वर्ष के, जिसके दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित किया जाता है, आगामी पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, अतिशेष रकम को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् ''अधिशेष'' कहा गया है) धारा 37 में निर्दिष्ट निधियों में से ऐसी निधि में, जो रिज़र्व बैंक विनिर्दिष्ट करे, अंतरित कर देगा; और

(ii) उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय आवास बैंक, धारा 37 में निर्दिष्ट निधियों के लिए उपबंध करने के पश्चात् अधिशेष के अतिशेष को रिज़र्व बैंक को अंतरित कर देगा।

40. लेखापरीक्षा- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक के लेखाओं की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाएंगे जो रिज़र्व बैंक नियत करे।

(2) लेखापरीक्षकों को राष्ट्रीय आवास बैंक के वार्षिक तुलनपत्र की एक प्रति दी जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वे उसकी तत्संबद्ध लेखाओं तथा वाउचरों के सहित परीक्षा करें और वे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखी गई सब लेखा-पुस्तकों की सूची का अपने को परिदान कराएंगे और राष्ट्रीय बैंक की पुस्तकें, लेखे, वाउचर तथा अन्य दस्तावेज़ सब युक्तियुक्त समयों पर उनकी पहुंच में होंगे।

(3) लेखापरीक्षक लेखाओं के संबंध में बोर्ड के किसी निदेशक या राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी की परीक्षा कर सकेंगे और बोर्ड से या राष्ट्रीय आवास बैंक की पुस्तकें, लेखे, वाउचर तथा अन्य दस्तावेज़ सब युक्तियुक्त समयों पर उनकी पहुंच में होंगे।

(3) लेखापरीक्षक लेखाओं के संबंध में बोर्ड के किसी निदेशक या राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी की परीक्षा कर सकेंगे और बोर्ड से या राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने के हकदार होंगे जो वे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें।

(4) लेखापरीक्षक अपने द्वारा परीक्षित वार्षिक तुलनपत्र और लेखाओं पर राष्ट्रीय आवास बैंक को रिपोर्ट देंगे और ऐसी हर रिपोर्ट में वे यह कथित करेंगे कि क्या उनकी राय में तुलनपत्र सब आवश्यक विशिष्टियों से युक्त, पूरा और ठीक तुलनपत्र है और ऐसे उचित रूप में तैयार किया गया है कि उससे राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यकलाप की स्थिति सही और ठीक रूप में प्रदर्शित होती है और यदि उन्होंने बोर्डसे या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कोई जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा था तो क्या वह दिया गया है और क्या वह समाधानप्रद है।

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक को सुसंगत वर्ष के बंद होने या यथाविद्यमान अपने तुलनपत्र और उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा की एक प्रति और साथ में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और उस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के कामकाज की रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं के बंद और संतुलित किए जाने की तारीख से चार मास[1] के भीतर देगा और वह जैसे ही केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है, वह उसे, उसके पश्चात् यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय, राष्ट्रीय आवास बैंक के लेखाओं की परीक्षा करने और उन पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को नियुक्त करेगी तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसी परीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय राष्ट्रीय बैंक द्वारा उसे देय होगा।

41. विवरणियां- राष्ट्रीय आवास बैंक, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक को ऐसी जानकारी और विवरणियां देगा जिनकी रिज़र्व बैंक अपेक्षा करे।

42. आवास के बारे में वार्षिक रिपोर्ट- राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास के स्वरूप और प्रगति के बारे में केन्द्रीय सरकार और रिज़र्व बैंक को वार्षिक रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट में ऐसे सुझाव दे सकेगा जैसे वह आवास के विकास के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् उसे यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

43. राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मचारीवृंद- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है तथा उनकी नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें अवधारित कर सकता है।

---

[1] "तीन माह" को अधिनियम सं. 15/2000, धारा 21 द्वारा प्रतिस्थापित (12 जून, 2000 से)

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियो और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, तथा उनके फायदे के लिए भविष्यनिधि या अन्य निधि की स्थापना और अनुरक्षण ऐसा होगा, जो विहित किया जाए।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी अधिकारी या अपने कर्मचारीवृंद के किसी सदस्य को ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसे वह अवधारित करे, किसी संस्था को, जिसके अंतर्गत आवास वित्त संस्था है, प्रतिनियुक्त कर सकता है।

(4) इस धारा की कोई बात राष्ट्रीय आवास बैंक को अपने किसी अधिकारी या कर्मचारीवृंद के किसी सदस्य को किसी संस्था को ऐसे किसी वेतन, परिलब्धियों या ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों पर प्रतिनियुक्त करने सशक्त नहीं करेगी जो उसके लिए उनसे कम अनुकूल हैं जिनका कि वह ऐसी प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व हकदार है।

(5) राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 54कक के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी संस्था से, जिसके अंतर्गत आवास वित्त संस्था है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसे वह राष्ट्रीय आवास बैंक के हित में आवश्यक समझता है, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर स्वीकार या ग्रहण कर सकता है।

मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- नई धारा 43क का अंत: स्थापन।

[1]43क. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अधिकारियों को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्तव्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।'' शक्तियों का प्रत्यायोजन।

44. विश्वस्तता और गोपनीयता के बारे में बाध्यता- (1) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित के सिवाय, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने संघटकों के संबंध में या उनके कार्यकलापों के संबंध में कोई जानकारी, केवल उन्हीं परिस्थितियों में प्रकट करेगा जिनमें विधि या बैंककारों में रूढिगत प्रद्धति और प्रथा के अनुसार उसे प्रकट करना राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए आवश्यक या समुचित है, अन्यथा नहीं।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक या रिज़र्व बैंक का प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य, लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवाओं का उपयोग राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाए, अपना कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

[2](3) ऋण सूचना कंपनी (विनियमावली) अधिनियम, 2005 के तहत उल्लिखित ऋण पर इस धारा में निहित कोई प्रावधान लागू नहीं होगा।

45. नियुक्ति में त्रुटि के कारण कार्यों आदि का अविधिमान्य न होना- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक के बोर्ड या किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 22 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 23 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक के बोर्ड के निदेशक या उसके किसी समिति के सदस्य के रूप में सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य केवल इस आधार पर ही अविधिमान्य नहीं हो जाएगा कि वह निदेशक होने के लिए निरर्हित था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य त्रुटि थी।

नई धारा 45क का अंतः स्थापन।

मूल अधिनियम की धारा 45 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

[1]''45क. (1) जहां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किसी ऐसी वित्त संस्था के साथ, जो एक कंपनी है, किए गए ठहराव में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसी आवास वित्त संस्था के एक या अधिक निवेशकों की नियुक्ति का उपबंध है, वहां ऐसा उपबंध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की कोई नियुक्ति, कंपनी अधिनियम, 1956 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या उस वित्त संस्था से संबंधित ज्ञापन, संगम-अनुछेद या किसी अन्य लिखित में अंतर्विष्ट इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावी होगी, अथवा पूर्वोक्त किसी ऐसी विधि या लिखत में अंतर्विष्ट शेयर, अर्हता, आयु सीमा, निदेशक पदों की संख्या, निदेशकों के पद से हटाए जाने और ऐसी की शर्तों संबंधी कोई उपबंध राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पूर्वोक्त रूप में ठहराव के अनुसरण में नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होगा।

निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ ठहराव का अभिभावी होना।

(2) पूवोक्त रूप से नियुक्त कोई निदेशक-

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रसादपर्यन्त पद धारणा करेगा और राष्ट्रीय आवास बैंक के लिखित आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकेगा;

(ख) केवल उसके निदेशक होने के कारण या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने से रह गई किसी बात या उसके संबंध में किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा;

(ग) चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होगा और ऐसी सेवानिवृत्ति के दायी निदेशकों की संख्या की संगणना करने में हिसाब में नहीं लिया जाएगा।''

46. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण- कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के या विधि का बल रखने वाले किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशायित किसी बात से हुई या होनी संभावित किसी भी हानि या नुकसान के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक या उसके किसी निदेशक या अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध न होगी।

47. निदेशकों की क्षतिपूर्ति- (1) प्रत्येक निदेशक की उसके द्वारा उपगर्ति ऐसी सभी हानि और व्यय के लिए, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या उनके संबंध में उसके द्वारा उपगत किए गए हों, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं जब उसके स्वयं जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रम के कारण ऐसा हुआ हो।

(2) कोई निदेशक राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य निदेशक के लिए, अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या राष्ट्रीय आवास बैंक को होने वाली किसी ऐसी हानि या उस पर पड़ने वाले किसी ऐसे व्यय के लिए जो राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से अर्जित की गई या

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 23 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

ली गई किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य की या उस संपत्ति या प्रतिभूति में हक की किसी अपर्याप्तता या कमी के कारण या किसी ऋणी या राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति बाध्यताधीन किसी व्यक्ति के दिवाले या सदोष कार्य के कारण अथवा उस निदेशक के अपने पद के कर्तव्यों के निष्पादन में या उसके संबंध में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण हो, उत्तरदायी न होगा।

[1]''47क. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निक्षेप, बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में नामनिर्देशन विहित रीति से राष्ट्रीय आवास बैंक में किया जाता है, वहां ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों पर शोध्य रकम, निक्षेपकर्ता या उसके धारक की मृत्यु पर, ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों पर किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार, हक या हित के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशिती में निहित या उसको संदेय होगी।

नई धारा 47क का अंत: स्थापन।

निक्षेपों, बंधपत्रों आदि के संबंध में नामनिर्देशन।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किया गया कोई संदाय ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों के संबंध में उसके दायित्व का पूर्ण उन्मोचन होगा।''

[2](48 को 1.4.2002 से हटा दिया गया है)

49. शास्तियां- (1) जो कोई किसी विवरणी या तुलन-पत्र या अन्य दस्तावेज़ में अथवा इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा या उसके अधीन या उसके प्रयोजनों के लिए अपेक्षित या दी गई किसी जानकारी में जानबूझकर ऐसा कथन करेगा जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है, या कोई तात्विक कथन करने में जानबूझकर लोप करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज़ को पेश करने में अथवा ऐसा कोई विवरण या अन्य जानकारी देने में, जिसे पेश करना या देना इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल रहेगा तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के लिए दो हज़ार रूपए तक का हो सकेगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता ऐसी पहली असफलता के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहती है, सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

[3]''(2क) यदि कोई व्यक्ति धारा 29क की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2ख) यदि कोई संपरीक्षक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा धारा 33 के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, जो वह जुर्माने से, जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 34 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] ''आय पर टैक्स से छूट-48, आयकर अधिनियम 1961, या आय, लाभ या फायदा से संबंधित कोई भी अन्य कोई भी अधिनियम पर कर में कुछ भी शामिल नहीं होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने लाभ या फायदा के संबंध में आयकर या किसी भी प्रकार का कर नहीं देगा''

[3] अधिनियम सं. 15/2000, धारा25(क) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(2ग) जो कोई प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 36क की उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक ही हो सकेगी, दंडनीय होगा और प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अनुपालन जारी रहता है, पचास रूपए के अन्यून जुर्माने का भी दायी होगा;''

(3) यदि कोई व्यक्ति- [1](लेखा परीक्षक से अन्य)

(क) अध्याय 5 के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए आदेश के उल्लंघन में कोई निक्षेप प्राप्त करेगा; या

[2]''(कक) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अध्याय 5 के उपबंधों में से किसी के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा; या''।

(ख) कोई प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन, यथास्थिति, धारा 35 के या किसी ऐसे आदेश के, जो धारा 30 के अधीन दिया गया है, अनुसार निकालने से अन्यथा निकालेगा,

तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से भी दंडनीय होगा जो-

(1) खंड (क) के अधीन आने वाले किसी उल्लंघन की दशा में, प्राप्त निक्षेप की रकम के दुगने तक का हो सकेगा और

(2) खंड (ख) के अधीन आने वाले कसी उललंघन की दशा में, प्रास्पेक्ट्स या विज्ञापन द्वारा मांगे गए निक्षेप की रकम के दुगने तक हो सकेगा।

(4) यदि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन किया जाएगा अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन दिए गए या बनाए गए किसी आदेश, विनियम या निदेश का या उसके अधीन अधिरोपित किसी शर्त का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाएगा तो ऐसे उललंघन या व्यतिक्रम का दोषी कोई व्यक्ति जुर्माने से, जो दो हज़ार रूपए तक का हो सकेगा और जहां कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, एक सौ रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

50. कंपनियों द्वारा अपराध-(1) जहां कोई अपराध किसी कपंनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन में कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किया जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

---

[1]अधिनियम सं. 15/2000, धारा25(ख) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] अधिनियम सं. 15/2000, धारा25(ग) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

51. अपराधों का संज्ञान- (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान राष्ट्रीय आवास बैंक के ऐसे अधिकारी द्वारा, जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिखित रूप में साधारणतया या विशिष्टतया इस निमित्त प्राधिकृत है, लिखित रूप में किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय या उससे वरिष्ठ न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा करने का कोई कारण दिखाई देता है तो वह उस अधिकारी को जिसने परिवाद का फाइल किया है, स्वीय हाज़िरी से अभिमुक्त कर सकेगा, किन्तु कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर परिवादी की स्वीय हाज़िरी का निदेश स्वविवेकानुसार दे सकेगा।

धारा 52 के स्थान पर नई धारा का

[1]''52. अधिनियम के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने वाला कोई भी न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि उस जुर्माने का, यदि वूसल किया गया, उपयोजन-

जुर्माने का उपयोजन।

(क) प्रथमतः, कार्यवाहियों के खर्चे में या उसके संदाय के लिए किया जाएगा और

(ख) द्वितीयतः, उस व्यक्ति के निक्षेप को प्रतिसंदाय के लिए किया जाएगा जिसको निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना था, और ऐसे संदाय पर, आवास वित्त संस्था का निक्षेप का प्रतिसंदाय करने का दायित्व, न्यायालय द्वारा संदत्त रकम के परिमाण तक, उन्मोचित हो जाएगा।

जुर्माना अधिरोपित करने की राष्ट्रीय आवास बैंक की शक्ति

52क. (1) धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, यदि धारा 49 में उल्लिखित प्रकृति को कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम ऐसी आवास वित्त संस्था द्वारा किया जाता है, जो कंपनी है तो राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी संस्था पर-

(क) पांच हजार रूपए से अनधिक की शास्ति; या

(ख) जहां उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 49 की उपधारा (2क) या उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (कक) के अधीन है तो पांच लाख रूपए से अनधिक या जहां रकम निर्धारित किए जाने योग्य है वहां ऐसे उललंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम के दुगुनी, जो भी अधिक हो और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है वहां अतिरिक्त शास्ति जो पहले उल्लंघन या व्यातिक्रम के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पचीस हजार रूपए तक की हो सकेगी,

अधिरोपित कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति करने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त संस्था पर सूचना तामील करेगा जिसमें उससे इस बारे में कारण दर्शित करने की अपेक्षा की जाएगी कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में क्यों न अधिरोपित की जाए और ऐसी आवास वित्त संस्था को सुने जाने का उचित अवसर भी दिया जाएगा।

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 26 (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा प्रतिस्थापित

''52 न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी तरह का जुर्माना लगा सकता है जो निर्देशित करता है कि कुल आंशित्क जुर्माना लागू होगा, जो कि भुगतान हेतु कार्रवाई के लागत हेतु होगा

(3) इस धारा के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति उस तारीख से जिसको राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा धनराशि के संदाय की मांग करते हुए सूचना आवास वित्त संस्था पर तामील की जाती है, तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगा और आवास वित्त संस्था के ऐसी अवधि के भीतर उक्त धनराशि का संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह ऐसे मुख्य सिविल न्यायालय द्वारा जिसकी उस क्षेत्र में अधिकारिता है, दिए गए निदेश पर उद्ग्रहीत की जा सकेगी जहां आवास वित्त संस्था का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्थित है:

परंतु ऐसा निदेश इस निमित्त प्राधिकृत राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी द्वारा मुख्य सिविल न्यायालय को किए गए आवेदन पर ही किया जाएगा अन्यथा नहीं।

(4) वह न्यायालय जो उपधारा (3) के अधीन निदेश देता है, आवास वित्त संस्था द्वारा संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा, मानो वह सिविल वाद में सिविल न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो।

(5) ऐसे किसी उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में जिसकी बाबत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इस धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, कोई परिवाद विधि के किसी न्यायालय में किसी आवास वित्त संस्था के विरूद्ध फाइल नहीं किया जाएगा।

(6) जहां धारा 49 में उल्लिखित प्रकृति के उल्लंघन या व्यतिक्रम की बाबत कोई परिवाद आवास वित्त संस्था के विरूद्ध न्यायालय में फाइल किया गया है वहां आवास वित्त संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई कार्यवाही इस धारा के अधीन नहीं की जाएगी।"

53. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम (1981 का 18) का राष्ट्रीय आवास बैंक का लागू होना- बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 राष्ट्रीय आवास बैंक के संबंध में वैसे ही लागू होगा मानो वह उस अधिनियम की धारा 2 में यथापरिभाषित बैंक हो।

54. राष्ट्रीय आवास बैंक का मापन- कंपनियों के परिसमापन से संबंधित विधि का कोई उपबंध राष्ट्रीय आवास बैंक को लागू नहीं होगा और राष्ट्रीय आवास बैंक का समापन केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा ऐसी रीति से, जो वह निर्दिष्ट करे, किया जाएगा अन्यथा नहीं।

नई धारा 54क का अंत: स्थापना।

[1]"54क(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

नियम बनाने की शक्ति

(क) धारा 36घ की उपधारा (1) के अधीन वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं;

(ख) धारा 36ड की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 36 के अधीन अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें; और

(घ) धारा 36त की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों के कदाचार या अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया।"

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 27 द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

55. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति- (1) बोर्ड, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, अधिसूचना द्वारा ऐसे सभी विषयों के लिए जिनके लिए इस अधिनियम से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-

(क) वह फीस और भत्ते जो निदेशकों को धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड या उसकी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए दिए जा सकेंगे;

[1]''(कक) वह रीति जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (गक) के अधीन निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी;''

(ख) वह समय जब और वह स्थान जहां बोर्ड का अधिवेशन होगा और प्रक्रिया के वे नियम जो कामकाज करने के संबंध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपनाए जा सकेंगे;

(ग) कार्यपालिका समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या, वे कृत्य जिनका वह निर्वहन कर सकेगी और वह समय और स्थान जहां ऐसे अधिवेशन किए जा सकेंगे तथा प्रक्रिया के वे नियम जो कामकाज करने के संबंध में धारा 12 के अधीन अपनाएं जा सकेंगे;

(घ) धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन बंधपत्रों और डिबेंचरों के पुरोधरण और मोचन की रीति और निबंधन;

(ड.) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन विदेशी मुद्रा में उधार ले सकेगा;

(च) वह प्ररूप जिसमें धारा 32 के अधीन कोई विवरण, जानकारी, आदि प्रस्तुत किए जाएंगे।

[2]''(चक) धारा 36ड के अधीन किए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और ऐसे आवेदन के साथ उपाबद्ध किए जाने वाले दस्तावेज़;

(चख) वह प्ररूप जिसमें उधार लेने वाले पर धारा 36घ की उपधारा (1) के अधीन मांग सूचना तामील किया जाना अपेक्षित है;

(चग) वह रीति जिसमें धारा 36छ की उपधारा (2) के अधीन संपत्ति अंतरित की जाएगी;

(चघ) वह प्ररूप जिसमें धारा 36घ के अधीन अपील अधिकरण को अपील फाइल की जा सकती है और ऐसी अपील के साथ जमा किए जाने के लिए अपेक्षित फीस की रकम;''

(छ) धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन सृजित की जाने वाली विशेष निधि, आरक्षित निधि और अन्य निधियां;

(ज) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन तुलन-पत्र और लेखे तैयार किए या रखे जाएंगे;

(झ) धारा 43 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद के कर्तव्य और आचरण, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें;

(ञ) धारा 43 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद के सदस्यों के फायदे के लिए भविष्यनिधि और किसी अन्य निधि की स्थापना और अनुरक्षण; और

[3]''(यक) वह रीति जिसमें धारा 47क की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन किया जा सकेगा।''

---

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 28(क) (i) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[2] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 28(क) (ii) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से)

[3] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 28(क) (iii) द्वारा शामिल (12 जून, 2000 से) हेतु (विनियमन या योजना)

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया जाने वाला कोई विनियम राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की तारीख से तीन मास के अवसान के पूर्व रिज़र्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके बनाया जा सकेगा और इस प्रकार बनाए गए किसी विनियम को बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित या विखंडित कर सकेगा।

(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत विनियमों या उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वत्तर न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी है किन्तु किसी विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा, जिससे ऐसे किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जिसे ऐसा विनियम लागू हो सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

56. कुछ अधिनियमितियों का संशोधन- इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां उसमें उपबंधित रीति से संशोधित की जाएंगी और जब तक उस अनुसूची में अन्यथा उपबंध न किया जाए, ऐसे संशोधन धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की तारीख से प्रभावी होंगे।

57.कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उक्त कठिनाई को दूर कर सकेगी;

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 44(2) देखिए)

विश्वस्तता और गोपनीयता की घोषणा

मैं, घोषणा करता हूं कि मैं राष्ट्रीय आवास बैंक के (यथास्थिति) निदेशक, समिति के सदस्य, लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझसे अपेक्षित और उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक में या उसके संबंध में मेरे द्वारा धारणा किए गए पद या ओहदे से

ये शब्द अधिनियम सं. 47/1991, धरा 5 (ग) (20 सितंबर, 1991 से लागू) के द्वारा विनियमन शब्द हेतु प्रतिस्थापित किया गया

उचित रूप से संबंद्ध कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक सच्चाई से और अपनी पूर्ण कुशलता और योग्यता से निष्पादन और पालन करूंगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यों से या उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक से संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से संबद्ध कोई जानकारी ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, संसूचित नहीं करूंगा और न संसूचित होने दूंगा, तथा ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय आवास बैंक के या उसके कब्ज़े में तथा उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के कारबार से या उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक से संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कारबार से संबद्ध किन्हीं बहियों या दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं करने दूंगा और न उसकी उन तक पहुंच होने दूंगा।

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए।

(हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

कुछ अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के संशोधन

संशोधन

1. धारा 2 में खंड (गगग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(गगग) ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है;''।

2. धारा 17 में,-

(i) खंड (4घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

''(4घघ) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और उधार देना और राष्ट्रीय आवास बैंक ऐसी रीति से और ऐसे निबंधनों पर जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, साधारणतया सहायता करना'' May Lord see you straight path.

(ii) खंड (4छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(4छछ) राष्ट्रीय आवास बैंक को धारा 46घ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से ऋण और उधार देना तथा उक्त बैंक के बंधपत्र और डिबेंचर क्रय करना ;''

(iii) खंड 8क के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(8कक) किसी वित्तीय संस्था का संवर्धन करना, स्थापना करना और उनकी सहायता करना या उसके संवर्धन, सथापना और समर्थन में, चाहे अपने समनुषंगी के रूप में या अन्यथा सहयोग देना;''।

3. धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) में ''अथवा पुनर्निमाण बैंक से'' शब्दों के पश्चात्'' अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक से'' शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 46ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''46ग. राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि- (1) बैंक राष्ट्रीय आवास प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन)निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित और अनुरक्षित करेगा जिसमें प्रतिवर्ष ऐसी धनराशियां, जैसी वह आवश्यक समझे, जमा की जाएंगी।

(2) उक्त निधि की रकम का उपयोजन बैंक केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करेगा, अर्थात्:-

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी कारबार के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण और उधार देना ;

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत वचनपत्र और डिबेंचर क्रय करना''।

भाग 2

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के संशोधन

संशोधन

1. धारा 5 में, खंड (चचग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(चचघ) ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक अभिप्रेत है ;।

2. धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ii) में, ''अथवा पुनर्निर्माण बैंक से'' शब्दों के पश्चात् ''अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक से'' शब्द स्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 34क की उपधारा (3) में, ''पुनर्निर्माण बैंक'' शब्दों के पश्चात् ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

4. धारा 36कघ की उपधारा (3) में, ''पुनर्निर्माण बैंक'' शब्दों के पश्चात् ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

5. धारा 56 की उपधारा (ञ) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उप-खंड (ii) में ''पुनर्निर्माण बैंक'' शब्दों के पश्चात् ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' शब्द अंतः स्थापित किए जाएंगे।

भाग 3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) का संसोधन

संशोधन

धारा 2 की उपधारा (क) के खंड (I) में, ''भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक'' शब्दों के पश्चात् ''राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित ''राष्ट्रीय आवास बैंक'' शब्द और अंक अंतः स्थापित किए जाएंगे।

भाग 4

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) का संशोधन

संशोधन

धारा 32 के खंड (iv) के उपखंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(चच) राष्ट्रीय आवास बैंक''।

[1]तीसरी अनुसूची

(धारा 16 ए देखें)

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के धारा 16ए में संदर्भित घोषणा

स्थान

दिनांक

मैं/हम..... एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे अनुरोध पर मुझे/हमें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सहायता अनुमोदन के पुष्टि में, जैसा कि अनुलग्नक में निर्दिष्ट है, मैं/हम सहमत हैं कि कथोक्त अनुलग्नक में निर्दिष्ट अचल संपत्ति उक्त सहायता हेतु प्रतिभूति निर्माण करेगा और इसके अतिरिक्त मैं/हम सहमत हैं कि उपरोक्त दिए गए सहायता से संबंधित देयता, इनकी मौजूदगी के तारीख पर/से उपरोक्त अचल संपत्ति पर प्रभार लगेगा।

1. (ऋणकर्ता)..... के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्दगी

2. (प्रतिभू)..... के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्दगी

अनुलग्नक

I-सहायता का ब्यौरा

II-अचल संपत्ति का ब्यौरा

[1] अधिनियम सं. 15/2000, धारा 29 (12 जून, 2000 से लागू) के द्वारा डाला गया